राष्ट्रीय छात्रशक्ति

अप्रैल १९८०

मूल्य : १ रुपया।

शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि मासिक

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष : 2 अंक : 11 अप्रैल 1980

सम्पादक
अरुण जेटली

सह-सम्पादक
राजकुमार शर्मा

प्रबन्ध सम्पादक
नरदेव शर्मा

प्रसार व्यवस्थापक
हृदयेश पाठक

सदस्यता शुल्क
वार्षिक .... 10 रु०
त्रिवार्षिक .... 25 रु०
आजीवन .... 100 रु०

सम्पादकीय कार्यालय
ई-265, नारायण विहार,
नई दिल्ली-110028

व्यवस्थापकीय कार्यालय
16/3676, रैंगरपुरा, हरध्यानसिंह मार्ग,
करोल बाग, नई दिल्ली-5

लोकतंत्र का 'लोक' कहाँ ?

अंग्रेजी में एक कहावत प्रचलित है जिसका तात्पर्य है "कोई भी देश उतना ही 'महान' या लघु' होता है जितना उसका आम व्यक्ति।" इतिहास के किसी भी काल खण्ड में या विश्व के किसी भी देश में आम आदमी में चरित्र है, अनुशासन है, देश प्रेम है, हृदय की विशालता है तो ऐसा देश कभी, नीचे नहीं गिरता। परिस्थितियों के थपेड़ों में उसे कभी दुर्भाग्य के दिन देखने पड़ जाय तो भी वह इनसे जूझता हुआ पुनः वैभव व सम्मान अर्जित करने में सफल होता है।

आज भारत के सम्मुख अनेक समस्याएं है। पर इनमें से कोई भी समस्या उतनी गम्भीर नहीं, जितनी कि आम आदमी के चरित्र की है आम आदमी का स्तर उठाने का अर्थ केवल 'आर्थिक' या भौतिक ही नहीं है अपितु उसका चरित्र, उसकी नैतिकता, उसके दैनिक जीवन का आचरण, उसमें प्रकट होने वाली सचाई-देश और देशवासियों के आत्मीयता और उनके उत्कर्ष के लिए सर्वस्व होम करने की आकांक्षा है।

देश के आम आदमी का ऐसा स्तर उठाने की बात कितने लोग सोचते हैं ? आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति का प्रभुत्व है। यह राजनीति इस दिशा में कितनी सक्षम सिद्ध हो रही है ? राजनीतिक दल इस प्रश्न में कितनी रुचि ले रहे हैं ? शासन क्या कर रहा है ? गत 33 वर्षों में उसे कितनी सफलता मिली है ?

स्वाधीनता के 33 वर्षों का इतिहास इस दृष्टि से नकारात्मक है। इन वर्षों में भारत के आम आदमी को योजना का केन्द्र बिन्दु कभी नहीं बनाया गया। उसकी सदैव उपेक्षा ही की गई। राजनीतिक दलों ने जनता को मूर्ख बनाने की होड़ सी लगा ली। उसे हर प्रकार से भ्रष्ट बनाने का उपाय किया गया। उसकी भावनाओं को—संवेदनशीलता को आत्मीयता को नष्ट करने का प्रयास किया गया। आज भी यही प्रयास अनवरत रूप से चल रहा है।

भ्रष्ट तरीके से, जनता का खून चूसकर बड़े-बड़े थैलीशाह अपनी तिजोरियां भरते हैं। उन्हीं के काले धन के सहारे, अरबों रुपया खर्च कर कोई पार्टी सत्तारूढ़ होती है। और फिर सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचार का पोषण किया जाता है। अन्यथा चुनाव फन्ड में लाखों रुपये लेकर किसी उद्योगपति को जनता का शोषण करने का लाइसेन्स कैसे मिल पाता है ? कोई राज्यपाल कपूर लाखों की थैली लेकर शान के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जनता के प्रतिनिधि समझे जाने विधायकों को खरीदने का अभियान कैसे चला पाता है ? नैतिकता को तिलाञ्जलि दे, जनता के साथ विश्वासघात करनेवाला दलबदलू मुख्य मन्त्री या मन्त्री कैसे बन पाता है ? ऐसे मन्त्री या मुख्य मन्त्री या उन्हें प्रश्रय देने वाले नेता या प्रधान मन्त्री को आम जनता से क्या लेना देना (सिवाय चुनावों में वोट लेने के)

आम आदमी के सर्वाङ्गीण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक नये राजनीतिक संस्कृति का आविष्कार करना होगा। स्व० लोकनायक जयप्रकाश जी के शब्दों में राजनीति को लोकनीति में परिणत करना होगा। लोकतन्त्र में 'लोक' को तन्त्र के ऊपर स्थान देना होगा। राजनेताओं को स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर जनसेवा के लिए अग्रसर होना होगा।

जन प्रशिक्षण का कार्य गैर राजनीतिक स्तर पर जितना प्रभावी बन सकता है उतना राजनीतिक स्तर पर नहीं। सामाजिक और शिक्षा संस्थाएं अगर सुचारु रूप से चलाई जाय और उनके संचालक स्वयं का आदर्श प्रस्तुत कर 'लोक निर्माण' की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो इस दिशा में ठोस प्रगति हो सकती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठन निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य से ऐसे निस्वार्थी संगठनों को स्वार्थी राजनीतिज्ञों के दोष का शिकार बनना पड़ता है क्योंकि वे उनके स्वार्थों का पोषण नहीं करते। सत्तारूढ़ इन्दिरा कांग्रेस या अपदस्थ जनता अथवा लोकदल के कुछ नेताओं द्वारा संघ का विरोध केवल इसलिए किया जाता है कि संघ उनके राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं करता। राजनीतिज्ञ स्वयं को आदर्श प्रस्तुत कर 'व्यक्ति निर्माण' कर नहीं सकते तो उन्हें कम से कम यह कार्य करने वालों के मार्ग में रोड़े तो न अटकाने चाहिए। पर आज के राजनीतिक नेताओं से यह अपेक्षा करना गलत ही होगा। जो व्यक्ति, दल या संस्थाएं इस निर्माण कार्य में संलग्न हैं उनके ही ऊपर देश का भविष्य निर्भर है। ★

आसाम आंदोलन

सुलगता पूर्वांचल : विदेशी घुसपैठ के विरूद्ध राष्ट्रीयता की अंगड़ाई

डा० सूर्यकान्त बाली

आजकल हम अखबारों के माध्यम से, रेडियो-टेलिविजन के जरिए से या प्रत्यक्ष-दर्शी रिपोर्टरों के लेखों में दी गई सूचनाओं के सहारे जिस आन्दोलन को 'आसाम-आन्दोलन' के प्रचलित नाम से जानते हैं वह आन्दोलन वस्तुतः आसाम तक सीमित नहीं है अपितु वह पूरे उत्तरपूर्वी भारत को, अर्थात् भारत के सम्पूर्ण पूर्वांचल को झकझोरे हुए है। आज से करीब छह महीने पहले जो आन्दोलन मतदाता सूची में से 'विदेशियों' के नामों को हटाने के लिए प्रारम्भ हुआ था वह आज सम्पूर्ण पूर्वांचल से विदेशियों को हटाने की दिशा ग्रहण कर चुका है। आन्दोलन के इस क्षेत्र की समस्याओं और आन्दोलन के स्वरूप को समझे बिना हम किसी भी गलत निष्कर्ष का शिकार हो सकते हैं। इसलिए समस्या की गहराई तक जाना और उसका उचित समाधान ढूंढ निकालना बहुत आवश्यक है।

पूर्वान्चल का परिचय

यह हम देशवासियों का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का नाजुक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वांचल विदेशी शक्तियों की साजिशों का अड्डा बन चुका है, परन्तु हमारा उसकी समस्या से परिचित होना तो दूर, उस क्षेत्र से भी हमारा परिचय प्रायः नहीं है। भारत का पूर्वांचल क्षेत्र पुराने पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बंगलादेश से सटा हुआ एक पहाड़ी मैदानी प्रदेश है जो प्रायः चारों ओर से विदेशों से घिरा हुआ है तथा एक छोटी सी भूमि-पट्टी से ही मुख्य भारत भू से जुड़ा है। भारत की उत्तरपूर्वी दिशा में फैले इस छोटे से क्षेत्र में पांच प्रदेश और दो केन्द्र शासित स्थान हैं। पांच प्रदेशों के नाम हैं आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेश हैं। (इनके अलावा 'उदयान्चल' नाम से एक अन्य पृथक प्रदेश की स्थापना का आन्दोलन भी वहां चल रहा है जो वर्तमान 'आसाम आन्दोलन' के कारण महत्वहीन सा हुआ पड़ा है।) यह टुकड़ों में बांट कर कमजोर कर दिया गया पूर्वान्चल क्षेत्र चारों ओर चीन, बर्मा और बंगलादेश से घिरा हुआ है। हालांकि आसाम का भारतीय सुरक्षा, संस्कृति और आर्थिक नियोजन की दृष्टि से खास महत्व है, पर उसके शेष भारत के साथ संचार सम्बन्ध बहुत ही शोचनीय है। एक रेलवे लाइन पूर्वान्चल को शेष भारत के साथ जोड़ती है। एक स्थान पर तो यह लाइन भी उत्तर में चीनी सीमा तथा दक्षिण में बंगलादेशी सीमा के बीच इतने तंग रास्ते में से गुजरती है कि यह स्थान किसी भी समय भारत से आसाम को अलग करने के लिए विदेशी षड्यन्त्र को निमन्त्रण दे सकता है। यह पूरा क्षेत्र २ लाख ५५ हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कभी यह लगभग पूरा क्षेत्र आसाम था, पर अब वर्तमान आसाम-प्रदेश का क्षेत्रफल केवल ७८,००० वर्ग किलोमीटर रह गया है और शेष क्षेत्र बाकी चार राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है।

ईसाइयों का धार्मिक कुप्रचार

पूर्वान्चल के निवासी भोले, सरल एवं सादा जीवन बिताने वाले हैं। ईसाइयों के धार्मिक आक्रमण से पहले लगभग सारा पूर्वांचल हिन्दू धर्म का अनुयायी था और हिन्दुओं में भी वहां वैष्णव मत का प्रचार सबसे अधिक था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भारत के अन्य अंचलों के समान पूर्वांचल का भी सराहनीय योगदान रहा है। पूर्वांचल तेल, चाय और जूट का प्रमुख रूप से, और सामान्यतः अनेक प्रकार के खनिजों का तथा लकड़ी का अखण्ड भण्डार रहा है। इस आर्थिक संभावनाओं वाले क्षेत्र ने शुरू से ही लालची विदेशियों को इसके प्रति आकृष्ट किया है। इन विदेशियों में महत्वपूर्ण स्थान यूरोप और अमेरिका के ईसाई जगत का है जिन्होंने इस अंचल की गरीबी और अशिक्षा जैसे पापों का लाभ उठाकर यहां ईसाईयत का प्रचार करने और मानव विद्वेष फैलाने के लिए हजारों ईसाई धर्म प्रचारकों को वहां भेजा और बसाया। उनकी सहायता के लिए यहां करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता रहा है। पिछड़ी जातियों को उठाने की आड़ में उन धर्मप्रचारकों ने धर्म परिवर्तन के साथ-साथ गद्दारी फैलाने का विशाल अभियान पूर्वान्चल में चला रखा है जिसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता भी मिली है। उनका प्रमुख शिकार पहाड़ी क्षेत्रों के भोले भाले लोग और ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले क्षेत्रों के लोग रहे हैं। पूर्वान्चल क्षेत्र के आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में ईसाइयों की बढ़ती संख्या का आभास जनसंख्या के आँखें खोल देने वाले आंकड़ों से

हो जाता है। १९७१ की जनगणना में इन सभी क्षेत्रों में १७,८२,१७२ लोग ईसाई थे जबकि १९६१ में उनकी संख्या ११, २२, २२३ थी और १५६१ में उनकी संख्या केवल १७,००० के आस-पास थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां १९६१ के बाद के दस सालों में ईसाईयों की संख्या साढ़े छह लाख से अधिक बढ़ गई है वहां १८६१ के बाद के ८० वर्षों में ईसाईयों की संख्या सौ गुना बढ़ गई है। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि पूर्वांचल के पहाड़ी इलाकों में हर १०० लोगों में ५१ ईसाई हैं। जहां १९४७ में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में ईसाई धर्म-प्रचारकों के ध्यान का केन्द्र पहाड़ी क्षेत्रों के पिछड़े लोग थे, वहां स्वाधीनता के बाद उनका जबरदस्त अभियान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारों पर लहलहाते चायबागान के गरीब मजदूरों में हुआ है।

विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर ईसाईयों का अनुपात बड़ा ही भयावह दृश्य उपस्थित करता है। १९७१ की जन-गणना में नागालैंड की जनसंख्या में ६६.७६ % लोग ईसाई बन चुके थे और नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में तो यह अनुपात ८८% तक हो चुका है। मिजोरम की कुल जनसंख्या का ८६% से भी अधिक ईसाई हो चुके हैं। जहां तक मणिपुर का प्रश्न है, इस शताब्दी के प्रारम्भ में वहां एक भी ईसाई नहीं था, पर अब हालत यह है कि पूर्वी मणिपुर में ६२% ईसाई हो चुके हैं तथा सारे मणिपुर में उनका प्रतिशत ६० से ऊपर हो चुका है। आजादी के बाद ईसाई धर्मप्रचारकों ने खासी और नयातिया पहाड़ी जिलों में विशिष्ट प्रयास करके एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को ईसाई बना दिया है। आजकल इन धर्मप्रचारकों का ध्यान पूर्वी कछार और मिकिर के पहाड़ी जिलों तथा आसाम प्रदेश के गोआलपाड़ा, दारङ्ग तथा लखीमपुर जिलों पर केन्द्रित है। अरुणाचल प्रदेश सेना के प्रशासन में होने के कारण वहां ईसाईयों का प्रवेश निषिद्ध है, पर अरुणाचल की सारी दक्षिण-पश्चिमी में इन धर्मप्रचारकों ने ईसाई-स्कूलों का जाल बिछा रखा है। अरुणाचल प्रदेश के बच्चे यहां स्कूलों में मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर बिना विशेष प्रयास के ही ईसाई बनते जा रहे हैं।

ये ईसाई धर्म प्रचारक खिलौने, लोभ-हर्षक एवं निन्दनीय तरीके अपनाकर लोगों को ईसाई बनाते ही हैं साथ ही उन्हें भारत, भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति का भी दुश्मन बना देते हैं। नागालैण्ड एवं मिजोरम के पृथकतावादी आन्दोलन इसका स्पष्ट प्रमाण है। आजकल ये धर्मप्रचारक पूर्वांचल की राजनीति पर हावी होने की कोशिश में हैं जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है।

पाकिस्तानियों-बंगलादेशियों की समस्या

पूर्वांचल की परिस्थिति को समस्याग्रस्त करने में पाकिस्तान और बंगलादेश से आए हुए गैर कानूनी ढंग से पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए नागरिकों का बहुत निर्णायक योगदान है। वर्तमान बंगलादेश एक दशाब्दी पूर्व ही पाकिस्तान का पूर्वी भाग था। पाकिस्तान के दोनों भागों में मुसलमान प्रचण्ड बहुमत में थे क्योंकि इस देश का निर्माण ही मुस्लिम फिरकापरस्ती के कारण हुआ था। पाकिस्तान के दोनों पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में हिन्दू भी एक नगण्य संख्या में रहा करते थे। पाकिस्तान सरकार की नीतियों के कारण जीवन और मरण की लड़ाई लड़ने वाले पाकिस्तानी हिन्दू अच्छी संख्या में सीमा पार करके आसाम में प्रवेश कर गए बंगलादेश बनने के बाद भी यही स्थिति कायम रही।

पर पूर्वांचल को समस्याग्रस्त बनाने में पाकिस्तान एवं बंगलादेश के उन लाखों मुसलमान नागरिकों का ही वास्तविक योगदान है जो आसाम में घुस आए हैं। जानकार लोगों का कहना है कि लाखों मुसलमानों का पूर्वांचल में प्रवेश दो कारणों से हो सकता है—(१) बंगलादेश के छोटे आकार के मुकाबले वहां की विशाल जन-संख्या की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वहां के नागरिक काम की तलाश में सीमा पार करके भारत चले आते हैं। (२) दूसरा कारण यह हो सकता है कि मुसलमानों का इस प्रकार आना योजनाबद्ध ढंग से हो सकता है ताकि पूर्वांचल में भारत विरोधी वातावरण बनाने और उसे मुस्लिम बहुल प्रदेश बनाने में सहायता मिले। उस दूसरे कारण को ही वास्तविक कारण मानने वालों का कहना यह है कि पूर्वांचल में मुसलमानों का आगमन पूर्णतया योजनाबद्ध ढंग से सन् १९०६ से ही हो रहा है। यह कहा जाता है कि जिस प्रकार ईसाई धर्मप्रचारकों के लिए ईसाई जगत से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष आता है उसी प्रकार पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों को बसाने के लिए करोड़ों रुपया अरब देशों से हर साल आता है।

कारण चाहे कुछ भी रहा हो, पर पूर्वांचल में लाखों मुसलमानों के अवैध प्रवेश ने वहां की स्थिति को बहुत विषम बना दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार १९५१-६१ की दशाब्दी में कुल २,२०,६६० पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पूर्वांचल में प्रवेश किया। १९६१-७१ की दशाब्दी में १,९२,३३९ पाकिस्तानी और आ गए। १९७१ के बंगलादेश के गृहयुद्ध के समय करीब ११,०००,००, शरणार्थी पूर्वांचल में आ गए, और बंगलादेश बनने के बाद जब वे वापिस चले गए तो भी करीब एक लाख शरणार्थी वहीं बस गए। इस प्रकार १९७१ तक करीब पांच लाख से भी अधिक पाकिस्तानी पूर्वांचल में बस गए थे जिनमें से हिन्दू तो नगण्य ही थे, प्रायः मुसलमान ही थे। १९७२ और १९७८ के बीच ११, ५८३ बंगलादेशियों ने पूर्वांचल में प्रवेश किया और वहां बस गए। अवैध रूप से बस जाने वालों की यह संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। कहा जाता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।

विदेशी ताकतों का जमाव

ईसाईयों और मुसलमानों की यह विशाल जनसंख्या निश्चित रूप से पूर्वांचल की सुरक्षा, संस्कृति और उसका भारत वर्ष का महत्वपूर्ण अंग बने रहने के रास्ते में बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही है। इस नाजुक स्थिति का भरपूर लाभ उठाने के लिए वहां कई तरह की विदेशी ताकतें विशालरूप से जमी हुई है जो इस पूरे प्रदेश को भारत से अलग कर वहां के तेल, जूट, चायबागान, खनिज आदि पर कब्जा कर वहां उचित स्थानों पर सैनिक अड्डे बनाकर भारत की आर्थिक और भौगोलिक सुरक्षा के लिए स्थाई खतरे का निर्माण कर देना चाहती है। १९६२ में चीन ने भारत पर हमला कर उसे रहस्यमयी परिस्थितियों में वापिस भी ले लिया था। पर इस बीच उसने पूर्वान्चल के हजारों वर्गमील क्षेत्र को हथिया लिया था जो आज उसी के अधिकार में है। १९६२ से पहले से अब वहां बड़ी संख्या में चीनी तत्व सक्रिय हैं। इसके अलावा अमेरिकन गुप्तचर संस्था, सी. आई. ए. वहां बहुत अधिक सक्रिय है। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल चुका है। पुराने सी आई. ए. एजेन्ट जॉन स्मिथ के शब्दों में ही सी आई ए० ने पूर्वान्चल में पृथकतावादी भावनाओं को उकसाने करने और भड़काने के लिए पैसा दिया है। इस प्रकार के प्रमाण ध्रुव मजुमदार की पुस्तक 'कन्फेशन्स ऑफ ए. जर्नलिस्ट' में भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं कि सी आई. ए. पूर्वांचल में धन-शक्ति का नंगा खेल दिखा रही है। इधर पिछले कुछ वर्षों से रूसी गुप्तचर संस्था के. जी. बी. भी पूर्वांचल में सक्रिय हो गई है और इस पूरे क्षेत्र में उसके १७५ के लगभग एजेन्ट सक्रिय बताए जाते हैं। पाकिस्तान और बंगलादेश के गुप्तचर जो वहां पहले से ही सक्रिय हैं। ऐसी रिपोर्ट सुनी जा रही है के. जी. बी. के विरुद्ध चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश और सी. आई. ए. के एजेन्ट इकट्ठे हो रहे हैं। उसके अलावा चीन, बर्मा और बंगलादेश में नागा एवं मिजो विद्रोहीयों को प्रशिक्षण मिलता है तथा वहां के शस्त्रास्त्र से पूर्वांचल में पृथकतावादी सशस्त्र गतिविधियां करते रहते हैं।

इस सारे चित्र को देखकर सिहरन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है मानो पूरा पूर्वान्चल एक ऐसे भयानक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है जिसका लावा किसी भी समय फूटकर पूरे क्षेत्र को जलाकर राख कर देगा।

भारत सरकार की अकर्मण्यता

यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि इस सारे काण्ड में भारत सरकार ने क्या किया है ? स्पष्ट है कि पूर्वान्चल का इस विस्फोटक स्थिति तक पहुंचना भारत सरकार की अकर्मण्यता और निकम्मेपन का सबूत है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार को इस स्थिति का पता नहीं रहा होगा। कम से कम १९६२ के चीनी हमले के बाद जो इस क्षेत्र में विशेष किस्म के प्रयास व्यापक स्तर पर करने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने जो मार्च १९७७ से जनवरी १९८० के समय को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, चन्द वोटों के फायदे के कारण पूर्वान्चल को ईसाईयों धर्मप्रचारकों पाकिस्तानी नागरिकों और विदेशी शक्तियों की दया पर छोड़ दिया। चूंकि ईसाईयों और मुसलमानों के वोट सामूहिक रूप कांग्रेस को मिलते रहे है इसलिए उसकी सरकार पूर्वांचल के प्रति आंखें मूंदे रही हालांकि वहां स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही थी। इस बात को सही साबित करने के लिए दो प्रमाण काफी है यद्यपि ईसाई धर्मप्रचारक पूर्वान्चल में ईसाईयत के साथ-साथ भारत-विद्रोह के भाव भी फैला रहे हैं तथापि भारत सरकार ने एक ईसाई धर्मप्रचारिका मदर टेरेसा को 'भारतरत्न' का सर्वोच्च सम्मान देकर पूर्वान्चल का मजाक उड़ाया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का २१ जुलाई १९९६ का पत्र (सं० एफ ६/७/६०-१) सरकारी दृष्टिकोण का खासा परिचय देता है। इस पत्र में लिखा है कि "जो (पाकिस्तानी) बिना यात्रा पत्रों के लम्बे अरसे से यहां रह रहे हैं उन्हें प्रायः परेशान न किया जाए; पर जो सुरक्षा के लिए खतरा है और जिनका पाकिस्तानी नागरिक होने में कोई सन्देह नहीं है उन्हें विदेशी कानून १९४६ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत नोटिस दे दिए जाए।" पत्र की दुलमुल भाषा का परिणाम यह हुआ कि १९७१ तक पूर्वान्चल में आए ४,१३,०२६ विदेशी वहां के माननीय नागरिक बन कर रहने लगे।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बंगला देश से १९७५ तक आए बंगलादेशियों के बारे में एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार २५ मार्च १९७५ से पूर्व आए हुए बंगलादेशियों को बंगला देश सरकार वापिस नहीं लेगी। इस समझौते के अनुसार यह भी माना गया है कि २५ मार्च १९७५ के बाद आने वाले बंगलादेशियों में से केवल वे लोग बंगलादेश भेजे जाएंगे जिन्हें वहां की सरकार अपना नागरिक मान लेगी। किन्हीं दो देशों के बीच एक देश द्वारा किए गए आत्मघाती समर्पण का इससे ज्वलंत उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। परिणामतः इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है कि यदि बंगलादेश सरकार एक भी नागरिक को वापिस न लेना चाहे तो भारत सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समझौता श्रीमती गांधी और शेख मुजीबरहमान की सरकारों के बीच हुआ था।

आन्दोलन की प्रासंगिकता

ईसाईयों द्वारा धर्मप्रचार की आड़ में धर्मान्तरण एवं राष्ट्रद्रोह के भाव फैलाना, पाकिस्तान और बंगलादेश से आए नागरिकों का लाखों की संख्या में पूर्वान्चल में बस जाना, विदेशी ताकतों का जमावड़ा, तथा भारत सरकार की अकर्मण्यता और उसकी ज्वालामुखी की आग पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश—इन सब कारणों से सारा पूर्वान्चल आज आन्दोलन की आग में जल रहा है। जहां नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में पृथकतावादी हिंसक गतिविधियां होती रहती है, वहां आसाम में विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने की एकमात्र मांग

शेष पृष्ठ ३० पर

बलात्कार

मानसिक यत्रंणा के विरुद्ध नारी जागरण की शुरूआत

□ अशोक टण्डन

भारतीय समाज जीवन में हमेशा नारी का गौरवमय स्थान रहा है। नारी घर की चहारदिवारी में सिमटी रही है ऐसा नहीं है आवश्यकता पड़ने पर उसने पुरुष के साथ कर्म क्षेत्र में अपना दायित्व निभाया है। जिस समाज में नारी के बगैर सभी कार्य अपूर्ण माने गए हैं व जहां के कवियों ने नारी को "श्रद्धा" माना है उसी समाज में आए दिन नारी को बलात्कार जैसी यत्रंणाओं से जूझना पड़ता है। यह यत्रंणा नारी को शारीरीक यत्रंणा की अपेक्षा मानसिक यत्रंणा अधिक पहुंचाती है जिसका बोझ जीवन भर उसके दिमाग पर रहता है। इससे अधिक विडम्बना तो तब होती है जब देश का सर्वोच्च न्यायालय 'सबूत' न होने के कारण अभियुक्तों को निर्दोष करार देकर नारी को और अधिक आहत करता है।

देश की भावी पीढ़ी जब भारतीय इतिहास के पन्ने पलटेगी और पायेंगी कि २०वीं शताब्दी के अन्त में इस भूभाग पर एक दशक से अधिक तक एक महिला का एक छात्र राज्य रहा था तो स्वयं को गौरन्वित अनुभव करेगी। किन्तु उस समय तक भी इस देश के अनेक भागों में महिला वर्ग के शोषण और उसके साथ सामाजिक अपराधों के समाचार पढ़ कर इस निष्कर्ष पर पहुँचेगी कि केवल मात्र महिलाओं को सत्ता में बिठाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

आदिकाल से ही महिला पुरुष के मुकाबले में कमजोर मानी जाती रही है। सभ्यता के आगमन के साथ-साथ मानव ने अपने आचरण में कुछ मूल्यों की रचना की जिनके अन्तर्गत महिला की सामाजिक सुरक्षा के लिये कुछ मर्यादाएं निर्धारित की। इन्हीं मर्यादाओं में से स्त्री-पुरुष विवाह नामक सामाजिक बंधन की उत्पत्ति हुई। विवाह बंधन से पुरुष द्वारा स्त्री की सामाजिक सुरक्षा को मानव जाति की पूज्य सभी विकसित अथवा अर्द्ध विकसित सभ्यताओं की मान्यता प्राप्त हुई। इस मर्यादा के पीछे राजकीय मान्यता से अधिक सामाजिक मान्यता होने के कारण इसका खुल्लम-खुल्ला विरोध करने की क्षमता सदियों से किसी भी सभ्यता में नहीं के बराबर रही है।

आज भले ही आधुनिकता की पराकाष्ठा पार करने वाली पाश्चात्य सभ्यता में इस बन्धन को सरेआम चुनौती दी जा रही है सामान्यता आज भी मानव जाति में विवाह के बन्धन को पूर्ण मान्यता प्राप्त है।

आधुनिकता की अन्धी दौड़ में सभ्य समाज पुरानी मान्यताओं का किस सीमा तक गला घोटेंगे और उस स्थिति में ऐसे समाज के सामने क्या समस्या आयेगी और उनका समाधान कैसे होगा यह विचार कल किया जा सकता है। किन्तु जिस समस्या का हल आज ढूंढना है वह है सभ्य समाज में मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों की संख्या में निरंतर वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप सामाजिक अपराधों, विशेष कर महिला वर्ग के साथ पाशविक एवं अमानवीय व्यवहार की बढ़ती हुई घटनाओं का अटूट सिलसिला है।

वैसे तो असामाजिक तत्वों की कमी किसी भी समाज में कभी भी नहीं रही।

प्रकृति का नियम कहें अथवा मानव जाति में उसके समाज रचना के पूर्व के असभ्य काल की परिचायक मनोवृति की देन, मानव के विकास के साथ-साथ जहाँ उसमें विभिन्न प्रकार के गुणों का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ उच्छृंखलता और जंगलीपन की छाप भी उसके मस्तिष्क के किसी न किसी कोने में रही है।

समय के साथ साथ हुई समाज रचना में शासन की ओर से इस सम्बन्ध में कई कानून बनाकर पुरुष की इस पाशविक प्रवृति को काबू में रखने की कोशिश की जाती रही है।

शासकीय स्तर पर इस समस्या के रोकथाम के साथ-साथ धर्म तथा आध्यात्मवाद के प्रचार द्वारा भी मनुष्य के स्वभाव को अधिकाधिक सरल करने का प्रयास निरन्तर होता रहा है।

कानून धर्म एवं समाज के डर से जहाँ मनुष्य अपने ही भीतर की कमजोरियों पर काबू पाने का प्रयास न करता रहा है तथा सामाजिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं ने इस पाशविक आग में घी डालने का काम भी किया है।

राजघराने से लेकर समाज के किसी भी क्षेत्र में सम्पन्न लोगों द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा सामाजिक स्तर पर कमजोर वर्ग का निरन्तर शोषण किया गया है तथा उनकी महिलाओं पर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध भी हुए हैं।

अपने सामाजिक एवं आर्थिक अवलम्बन के लिए पुरुष जाति के शोषण का शिकार तो नारी को होना ही पड़ा है किन्तु आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के

सम्बन्धित नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी रही है आज उन्नत एवं प्रगतिशील देशों में नारी ने पुरुष पर अपने आर्थिक अवलम्बन को कुछ कम करने में सफलता पाई है और साथ ही साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आरम्भ किया है। इसके परिणामस्वरूप नारी जगत की प्रतिष्ठा कुछ बढ़ी भी है। किन्तु अभी इस वर्ग की महिला को भी बहुत कुछ करना है।

यद्यपि इस वर्ग की महिलाओं पर अपराध कुछ कम हुए हैं या जो होते हैं। उनमें पेशेवर अपराधियों की संख्या अधिक है जिनको निपटने के लिए साधारण कानून काफी है तो भी भारत जैसे देश में दहेज के प्रश्न पर आये दिन होने वाली हत्याएं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिए खड़ी है जिनका कोई स्थाई हल अभी ढूंढना बाकी है।

जागरूक महिला वर्ग इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहा और एक प्रबल जनमत ही इस का एक मात्र उत्तर है।

हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर की महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों की मांग तथा अपनी बढ़ती हुई सामाजिक असुरक्षा के विरुद्ध जो आवाज पिछले दिनों उठाई वह एक प्रशंसनीय एवं उत्साहवर्धक कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

दिल्ली, बम्बई, पूना, बंगलोर आदि महानगरों में महिला वर्ग द्वारा प्रदर्शन, जलूस, सभाएँ तथा विचार गोष्ठी आदि के आयोजन से सम्पूर्ण समाज का ध्यान इस ओर गया है।

इन कार्यक्रमों में अधिकतर शिक्षित महिलाओं ने भाग लिया। यह वर्ग अपने अधिकारों से भली भाँति परिचित है तथा इसे यह भी ज्ञात है कि महिलाओं के भले के लिये किन कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। किन्तु महिलाओं के इस वर्ग पर एक और जिम्मेदारी भी है वह है अशिक्षित आर्थिक दृष्टि से कमजोर और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं की समस्याओं के लिये आवाज उठाएं। जैसे शिक्षित एवं सम्पन्न समाज अपने ही स्तर की महिला को उसके सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार बिना माँगे देने को तैयार नहीं है वैसे ही पिछड़ा वर्ग भी अपनी महिलाओं को दबाये रखना चाहता है। अन्तर केवल इतना है कि सम्पन्न समाज की महिला अपने अधिकारों के लिये लड़ना जान गई है और कमजोर वर्ग की महिला अभी दबी हुई है। यह काम जागरूक महिला वर्ग को ही करना होगा।

देश में विभिन्न महिला संगठन इस ओर कार्यरत है। इन्हीं महिला संगठनों के प्रयास से समय-समय पर कमजोर वर्ग की स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार भी प्रकाश में आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों उभर कर सामने आया है जिसने समस्त देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मथुरा बलात्कार काण्ड के नाम से जाना जाने वाला यह मामला यद्यपि घटित १९७२ में हुआ था किन्तु इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् इस पर देश भर में चर्चा आरम्भ हुई।

दलित वर्ग की एक १४ से १६ वर्षीय अनाथ लड़की से सम्बन्धित यह मामला पिछड़े वर्ग के समाज, सगे सम्बन्धियों पुलिस तथा कानून द्वारा होने वाले व्यवहार का एक नमूना है।

महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले की देसाईगंज तहसील के एक गाँव में मथुरा नामक एक दलित वर्ग की अनाथ कन्या अपने भाई के साथ रहती थी। सभी ओर से ठुकराई यह बेसहारा लड़की अशोक नाम के एक अनाथ लड़के के सम्पर्क में आयी और उनका मेल मिलाप बदलने लगा। यह सम्बन्ध मथुरा के भाई गामा को गवारा न था। मथुरा जब अशोक के साथ रहने उसकी मौसी के घर गई तो गामा ने इसका विरोध किया और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवा दी। इस सम्बन्ध में पूछ ताछ के लिये मथुरा, गामा, अशोक तथा नुती को २६ मार्च १९७२ की रात्रि को थाने में बुलाया गया था।

घटना इस प्रकार बताई जाती है कि पूछ ताछ के पश्चात् पुलिस ने इन लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी थी। किन्तु जाते-जाते एक सिपाही ने मथुरा का हाथ पकड़कर उसे थाने के अन्दर दुबारा चलने को कहा। अन्दर ले जाकर २७ वर्षीय सिपाही गनपत ने थाने की बत्ती बुझा दी और मथुरा के साथ बलात्कार किया। उसके पश्चात् एक अन्य सिपाही तुकाराम ने, जो कि नशे की हालत में था, मथुरा के साथ दुर्व्यवहार किया।

इस घटना के दौरान मथुरा के साथ आये तीनों लोग थाने के बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब पुलिस वाले मथुरा के साथ अलग से की जा रही पूछताछ समाप्त करें कि सब लोग घर वापिस जा सकें। उनके पूछने पर कहा गया कि मथुरा तो कब की घर जा चुकी है। किन्तु इतने में ही मथुरा रोती हुई थाने से बाहर आई। उसने बताया कि थाने के अन्दर उसके साथ बलात्कार किया गया है। मथुरा के इस कथन पर बवंडर खड़ा हो गया और शीघ्र ही उग्र भीड़ ने थाने को चारों ओर से घेर लिया। थाने को आग लगा दिये जाने की धमकी और लोगों के आक्रोश को देख कर हेड कांस्टेबल बाबूराव ने मथुरा के ब्यान के आधार पर कांस्टेबल गनपत और कांस्टेबल तुकाराम के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। एक महिला मेडिकल आफिसर, डा० कमल शास्त्राकार, जिन्होंने अगले दिन मथुरा का डाक्टरी मुआयना किया अपनी रिपोर्ट में यह सिद्ध नहीं कर पाई कि मथुरा के साथ बलात्कार हुआ है क्योंकि उसके अनुसार मथुरा पहले से ही पुरुष के साथ शारिरिक सम्बन्ध रखती रही है और दूसरा इस कथित बलात्कार से उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट अथवा जख्म नहीं पाये गये। तो भी सरकार ने इन कर्मचारियों पर नागपुर सैशन जज की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। १ जून, १९७४ को सैशन जज ने दोनों अभियुक्तों को दोषी न पाये जाने के कारण बरी कर दिया।

यह मुकदमा दो साल तक चला और इसके फैसले के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की। १२ अक्टूबर, १९७६ को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने सेशन जज के फैसले के विरुद्ध निर्णय दिया और कहा कि गनपत और तुकाराम दोषी है। उच्च न्यायालय ने गनपत को ५ वर्ष के लिये कठोर कारावास तथा तुकाराम को १ वर्ष के लिये कठोर कारावास का दण्ड सुनाया।

दोनों पुलिस कर्मचारी इस निर्णय के विरुद्ध अपनी याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख आये जिसने उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया और दोनों अभियुक्तों को फिर से बरी कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि मथुरा के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा शारीरिक सम्बन्ध उसकी इच्छा से हुआ था और यह सब कुछ शान्ति पूर्वक किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध कई लोगों द्वारा आवाज उठाई गयी तथा रोष प्रकट किया गया। यह भी माँग की गई की ३ न्यायधीशों की पीठ के इस निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार होना चाहिये।

महिलाओं की कुछ संस्थाओं ने इस निर्णय को महिला-विरोधी करार दिया।

महिला दक्षता समिति तथा कुछ अन्य महिला संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध जनमत तैयार करने का निश्चय किया और इसके विरोध में प्रदर्शन तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन आरम्भ किया।

ऐसी ही एक विचार गोष्ठी में Cr. P.C की धारा ३७५ एवं ३७६ में संशोधन की मांग की गई। इन धाराओं के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में बलात्कार केवल उसी स्थिति में माना जाएगा जब महिला के साथ जोर-जबरदस्ती, मृत्यु की धमकी आदि बातों के प्रमाण पाये जायेंगे। इन मामलों को ले कर जन-आन्दोलन भी किये जा रहे है और आज यह काण्ड महिला संघर्ष का प्रतीक बन चुका है।

१७ मार्च को इस मुद्दे को लेकर कुछ महिला संगठनों ने सर्वोच्च न्यायलय के बाहर प्रदर्शन किया और सर्वोच्च न्यायधीश श्री चन्द्रचूड़ को एक ज्ञापन दिया जिसमें इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई।

इस सम्बन्ध में महिला संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल को न्यायधीश चन्द्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि यदि इस मामले में कोई पुनर्विचार की याचिका दायर की जायेगी तो सर्वोच्च न्यायालय उसे बिना विचार किये नजर अन्दाज नहीं करेगा।

इस आश्वासन के पश्चात आल इण्डिया विमेन कांफ्रेंस तथा महिला वकील संघ द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार की याचिका दायर की जा चुकी है।

पिछले सप्ताह जब इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायलय का ध्यान दिलाया और इस पर विचार के लिये कोई तिथि निर्धारित करने की मांग की गई तो महाराष्ट्र सरकार के वकील ने न्यायालय को सूचित किया की महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले पर पुनर्विचार के लिये एक याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। उनकी प्रार्थना थी ऐसी सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाना चाहिये।

२६ मार्च को पुनः यह मामला उसमें आने पर सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि इन याचिकाओं पर विचार किये जाने सम्बन्धित आवेदनों पर न्यायलय २८ मार्च को विचार करेगा।

२६ मार्च को ही महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका दायर कर दी।

२८ मार्च को सर्वोच्च न्यायलय इस विषय में क्या निर्णय लेता है इस के लिये प्रतीक्षा करनी होगी।

किन्तु एक बात स्पष्ट है कि जनमत के आगे सर्वोच्च न्यायालय को भी सर झुकाना पड़ता है।

वास्तविकता चाहे कुछ भी हो इस मामले से भारतीय पुलिस के चरित्र का पर्दाफाश होता है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों से पुलिस का क्या व्यवहार रहता है यह मथुरा काण्ड से खुल कर सामने आया है।

ऐसे अनेक मामले आये दिन देश के विभिन्न भागों में होते रहते है। महिलाओं को सामाजिक अपराध का शिकार बनते रहना पड़ेगा यदि उन्होंने अपनी सुरक्षा के

लिये ठोस कदम उठाये जाने के पक्ष में एक प्रबल जनमत तैयार नहीं किया।

महिला वर्ग को विशेषकर शिक्षित महिलाओं को अपनी अबला एवं निसहाय बहनों के हितों की सुरक्षा के लिये उपाय सूझाने होंगे, कानूनों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करने होंगे और उनको मनवाने के लिये जनमत तैयार करना होगा।

महिलाओं की समस्यायें महिलायें ही सुलझा सकती है इस काम के लिये पुरुष जाति से उन्हें अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

★

प्रांतीय समस्याओं के लिए विद्यार्थी प्रदर्शन

शैक्षणिक परिवर्तन की मांग को लेकर शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन विद्यार्थी परिषद् की विभिन्न प्रांतीय ईकाईयों द्वारा विभिन्न प्रदेशों की राजधानी में शिक्षा परिवर्तन के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए गए। हम यहां पर कुछ प्रांतों में हुए प्रदर्शनों व मांग पत्रों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

– सम्पादक

पंजाब

२ फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की पंजाब शाखा की ओर से पटियाला में एक विशाल छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिषद् के पंजाब के इतिहास में यह अपने किस्म का पहला छात्र सम्मेलन था। सम्मेलन में पंजाब भर के लगभग २६ स्थानों से ८६३ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस संख्या में अधिकतर संख्या उन स्थानों से रही जो आज तक कम्युनिस्टों का गढ़ समझे जाते थे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य छात्र मांगों एवं समस्याओं पर प्रकाश डालना तथा साथ ही साथ पंजाब सरकार पर भी यह दबाव डालना था कि वह पंजाब के विद्यार्थियों की मांगों पर तुरन्त विचार करे।

सम्मेलन जो पटियाला के राजपुरा कालोनी मैदान में सम्पन्न हुआ में सबसे पहले परिषद के चुने गए नए प्रधान व मंत्री की घोषणा की गई। प्रधान, आर्य कालेज लुधियाना के प्रो० सुरेन्द्र सोहन सहगल व मंत्री चण्डीगढ़ के कवलजीतसिंह। इसके अतिरिक्त तीन उपाध्यक्ष डी० ए० वी० कालेज, अबोहर के श्री आर० एल० शर्मा, एस० बी० कालेज लगल के श्री शुभलक्षन कुमार तथा डी० ए० वी० कालेज अमृतसर की प्रो० लक्ष्मीकांता चावला। २ संयुक्त सचिवों के अतिरिक्त २६ सदस्यों की कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई।

सम्मेलन में दो प्रस्ताव भी पास किए गए। एक प्रस्ताव में पंजाब की शैक्षणिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई। और इसी प्रस्ताव द्वारा यह भी मांग की गई कि पंजाब के तीनों वि. विद्यालयों का पाठ्यक्रम एक किया जाए। प्राईवेट कालेजों की फीसों को घटाकर सरकारी कालेजों के बराबर किया जाए अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय घोषित किया जाए इसके साथ ही साथ यह मांग भी की गई रिवैलयुऐशन फीस को कम करके १० रु० किया जाए व परीक्षाओं का नतीजा नये सत्र आरम्भ होने से पहले निकाला जाए।

दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत की आंतरिक व बाहरी स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए देशवासियों को रूसी, अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध रहने का आह्वान भी किया गया। C.P.I. C.P.M. द्वारा अफगानिस्तान के मामले में लिए स्टैंड की भी घोर निन्दा करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी बताया और इसे भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया।

मौसम खराब होने के बावजूद भी सम्मेलन के बाद पटियाला के मुख्य बाजारों से जुलूस निकाला गया। जो किला चौक में समाप्त हुआ। ★

पटियाला के मुख्य बाजार से गुजरते प्रदर्शनकारी

विद्यार्थियों का मांग पत्र

(१) प्राईवेट गैर-सरकारी कालेजों की फीस घटा कर सरकारी कालेजों की फीस के बराबर की जाए।

(२) रिवैल्यूएशन फीस घटा कर १० रुपये की जाए। साथ ही परीक्षा पत्रों के जांचने की विधि अधिक वैज्ञानिक हो तथा परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास पुनः स्थापित किया जाए ताकि कम से कम विद्यार्थियों को झंझट में पड़ना पड़े।

(३) गांवों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए इस व्यवस्था में पूर्णतः सुधार हो।

(४) बी. ए. तक अंग्रेजी केवल ऐच्छिक (आपशनल) विषय हो तथा उच्चस्तर की पढ़ाई के लिए हिन्दी और पंजाबी माध्यम अपनाने की छूट दी जाए।

(५) बी. ए. एवं उच्चस्तर की पढ़ाई हेतु विद्यार्थियों को प्राईवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की सुविधा हो।

(६) मैडीकल कालेज की प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam.) में केवल (Objective Type) प्रश्न हो एवं कम्पयूटर द्वारा उनका मूल्यांकन हो।

(७) पंजाब के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक सा पाठयक्रम हो।

(८) यूनिवर्सिटी एवं कालेज प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए समान योग्यताएं निश्चित की जाए।

(९) छात्र संघों में पैसे एवं गुण्डागर्दी के प्रभाव को कम करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(१०) आई. टी. आई. के विद्यार्थियों की समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए।

(११) सभी परीक्षाफल अगले सत्र के लिए प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व निकाले जाएं।

(१२) स्टूडेंट फण्ड का उचित प्रयोग हो तथा इनके खर्च में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का परामर्श लेने की पूर्ण व्यवस्था हो।

उत्तर प्रदेश

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शिक्षा परिवर्तन तथा प्रान्त में विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर एक विशाल रैली १२ मार्च १९८० को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर लखनऊ में आयोजित की गई।

नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ यह विशाल प्रदर्शन एक विशेष आकर्षण प्रदान कर रहा था अपने अनुशासन भावना द्वारा तथा अपनी विशालता तथा भव्यता के कारण. प्रदर्शन बेगम हजरत पार्क से आरम्भ होकर कचहरी रोड, अमीना बाद, लाटूश रोड, कैसर बाग, लाल बाग, हजरत गंज तथा जी०पी०ओ० पार्क पर समाप्त हुआ।

१२ मार्च को ही उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चन्द्र भानु गुप्ता के निधन के कारण पूरा शहर शोकाकुल था अतः इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद का यह प्रदर्शन भी मौन प्रदर्शन था।

प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां उठाए हुए थे जिस पर नारे लिखे थे 'बदलो २ इस शिक्षा को देश को मत बर्बाद करो' 'शिक्षा को श्रम से जोड़ो', 'संस्कृत को सम्मान दो', 'बेरोजगारों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दो', सांसदों की पेन्शन समाप्त करो', 'छात्रशक्ति जाग रही है—भ्रष्ट व्यवस्था भाग रही है', 'छात्र उठा है अब ललकार-शिक्षा बदले अब सरकार'।

अन्त में जी० पी० ओ० पार्क में एक आम सभा का आयोजन किया गया तथा राज्यपाल महोदय को विद्यार्थी परिषद की ओर से एक मांग पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रान्तीय अध्यक्ष प्रो० राम सनेही गुप्त ने परिषद की विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अराजकता की स्थिति इसलिये बनी हुई है, क्योंकि शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन लाने की ईमानदारी से पहल नहीं की गई। कुछ ने ऐसी पहल करने का प्रयास किया किन्तु उनमें शक्ति नहीं थी। कुछ ने शिक्षा में मौलिक परिवर्तन की बात छोड़ कर मामूली हेरफेर करने का सुझाव रखकर अपने कर्तव्य की इति श्री समझ ली।

शैक्षणिक परिवर्तन की मांग को लेकर लखनऊ की सड़कों से गुजरते हुए प्रदर्शनकारी।

इसलिये अब विद्यार्थी परिषद ने पत्तों को सींचने के बजाय जड़ में पानी डालने का दूरगामी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है। एवं शिक्षा में मौलिक परिवर्तन हेतु सुचिन्तित विचार प्रस्तुत किये हैं। जो भारतीय शिक्षा पद्धति को सही दिशा दे सकते हैं।

विद्यार्थी परिषद ने जो भी कार्य अपने हाथ में लिया है, उसे योग्यता पूर्वक निभाया है और यशस्वी बना है।

परिषद ने शैक्षिक परिवर्तन की चुनौती स्वीकार की है एवं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

इसके पूर्व विद्यार्थी परिषद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष आलोक नारायण सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व बड़े उल्लास के साथ सोचा जा रहा था कि स्वतन्त्र भारत की अपनी मौलिक शिक्षा प्रणाली विकसित होगी : जिसके द्वारा विभिन्न ज्ञान-विज्ञान एवं भाषाओं का सम्यक् विकास होगा। एवं भारत के युवक गुलामी की मानसिक दासता से मुक्त प्रतिभाशाली एवं तेजस्वी बन सकेंगे। किंतु, प्रायः समस्त शिक्षाविदों एवं देश के कर्णधारों द्वारा नकारी जाने पर "मैकाले शिक्षा पद्धति" फलती फूलती रही। यही कारण रहा कि आज देश में बेरोजगार एवं दिग्भ्रमित नवयुवकों की फौज खड़ी हो गयी है। जिस "शिक्षा" के द्वारा विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाता है वही "शिक्षा" हमारे लिये समस्या बन खड़ी हुई है।" आपने चेतावनी दी कि—यदि देश का नेतृवर्ग इसी प्रकार कुशिक्षा का फंदा नवयुवकों के गले में कसता रहा, तो युवक स्वयं उस फंदे को तोड़ने के लिये बाध्य होंगे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज यहां प्रांत के कोने—कोने से एकत्र छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री श्री विन्ध्यवासिनी जी ने रैली के समक्ष प्रदर्शन के आयोजन को स्पष्ट करते हुए इस बात पर क्षोभ प्रकट किया कि विगत सरकार ने संस्कृत के प्रति दुर्भावनाग्रस्त होकर बेतुका निर्णय लिया। आपने कहा कि—"संस्कृत भाषा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। ऐसी भाषा पर यदि रोक लगाई गई तो परिषद उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आपने कड़े शब्दों में कहा कि—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्थानीय महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया जाए एवं प्रवेश में योग्यता ही एकमात्र आधार हो। इसका साम्प्रदायिक चरित्र हटाकर उसके स्वरूप को राष्ट्रीय बनाया जाय।

आपने १९७८ को संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये मांग पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि—विद्यार्थी परिषद "शैक्षिक परिवर्तन" की मांगों को मनवाने के लिये कटिबद्ध है एवं इन्हीं मांगों को पूरा करने हेतु आज विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया। ★

राजस्थान

शिक्षा में परिवर्तन व विद्यार्थियों की प्रान्तीय समस्याओं को लेकर अ० भा० विद्यार्थी परिषद राजस्थान ईकाई की ओर से जयपुर में राज्यपाल भवन पर एक विशाल प्रदर्शन ११ मार्च को आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के सभी कोनों से छात्र-छात्राओं व प्राध्यापकों ने भाग लिया विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को एक मांगपत्र भी दिया जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख है।

● राजस्थान के क्षेत्रफल व विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अजमेर, कोटा व बीकानेर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जावे तथा प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को क्षेत्रानुरूप विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाए।

● विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रभावी व न्याय संगत विधि व्यवस्था स्थापित की जावे।

● प्रदेश में नए महाविद्यालय एवं विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के लिए विधानतः नीति तय की जावे जिससे शिक्षा का विकास व विस्तार निष्पक्ष तथा समान रूप से हो सके।

● प्राध्यापकों की नियुक्ति स्थाई तथा पूर्णकालिक आधार पर की जावे एवं रिक्त स्थानों की शीघ्र पूर्ति की जावे।

● सभी प्राध्यापकों को जीवन में कम से कम दो पदोन्नतियां प्रदान की जावें। तथा पदोन्नति के वस्तुनिष्ठ मानदण्ड निश्चित किए जावें, जिनमें छात्रों की भी निर्धारित भूमिका हो।

● प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया तर्कसंगत हो तथा उनके लिए समय-समय पर पुर्नः नवीनीकरण (Refreshar Course) पाठ्यक्रम चलाया जावे।

● राजकीय वार्षिक नियोजन में शिक्षा की मद में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जावे।

● उच्च शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जावे।

● राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो।

● विधि अध्ययन को अधिक प्रभावी बनाने व कुशल अधिवक्ताओं के निर्माण के लिए हायर सैकण्डरी के बाद ५ वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए तथा विधि शिक्षण के लिए पृथक विधि महाविद्यालयों की स्थापना की जावे।

● विधि का सामान्य ज्ञान देने के लिए त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम (T. D. C.) में विधि को अनिवार्य विषय के रूप पढ़ाया जावे।

● विधि पाठ्यक्रम में असंहिताकृत विधि विषयों का (Non Codified Law) का स्पष्ट उल्लेख किया जावे जिससे अध्ययन अध्यापन में स्पष्टता व विषयबद्धता आ सके।

● विधि स्नातकों को वकालत शुरू करने हेतु प्रारम्भिक व्यय के लिए बिना ब्याज सहायता ऋण की व्यवस्था की जावे।

● खेलों के विकास के लिए खेल मंत्रालय की स्थापना की जाए।

● परीक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार किया जावे।

● राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, का आयुर्विज्ञान संस्थान देहली के समान संसदीय कानून द्वारा पुनर्गठन किया जावे।

● राजस्थान में आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले स्नातकों को भिषक्षानु प्रवेश भत्ता अन्य प्रान्तों के समकक्ष दिया जावे।

● एम० बी० बी० एस० के अध्ययन व परीक्षा सत्रों को इस प्रकार नियमित किया जावे जिससे अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के छात्र भाग ले सकें।

● वार्ड पोस्टिंग्स में अधिकाधिक व्यावहारिक शिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, साधनों के अभाव व एक ही शिक्षक के साथ छात्रों की अधिक संख्या के कारण व्यावहारिक शिक्षा के नाम पर केवल आपरेशनस् आदि देखने व सैद्धान्तिक बातें सुनने का ही अवसर मिलता है अतः छात्रों के अनुपात में साधनों को बढ़ाया जावे।

● एम० बी० बी० एस० के विभिन्न विषयों की एकात्म व समन्वित अध्यापन व्यवस्था हो, यथा Physiology व Anatomy में सम्बन्धित कर नाड़ी तंत्र (C. S. N.) का अध्ययन करवाया जावे।

● अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में विषयगत सभी शाखाओं के अध्यापन की समुचित व्यवस्था हो, यथा जयपुर में Electronics और Chemical Branch खुलनी चाहिए। प्रवेश व परीक्षाओं की उचित व्यवस्था कर सत्रों को नियमित किया जावे।

● सभी संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को, सामान्य शिक्षा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतन दिया जावे।

● राजकीय शिक्षाशास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जावे एवं शिक्षा शास्त्री को सभी स्तरों पर बी० एड० के समकक्ष माना जावे।

● १०वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो। प्राथमिक शिक्षा में वैज्ञानिक शिक्षण विधि का प्रयोग कर छात्रों पर से पुस्तकों का बोझ कम किया जावे।

● रोजगार देने वाले निकायों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों से साक्षात्कार पूर्व तथा आवेदन प्रस्तुतिकरण के समय पोस्टल आर्डर तथा अन्य प्रकारों से लिया जाने वाला धन नहीं लिया जाना चाहिए। रोजगार पूर्व ली जाने वाली परीक्षाओं यथा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को शुल्क मुक्त किया जावे।

● रोजगार के लिए साक्षात्कार के निर्धारित अंक परीक्षा के कुल अंकों के चौथाये अंकों से अधिक न हों तथा साक्षात्कार में न्यूनतम पास अंक "शून्य" हों। ★

बिहार

बिहार जनान्दोलन की छठी वर्षगांठ पर विद्यार्थी परिषद की बिहार प्रदेश शाखा की ओर से १८ मार्च को एक जुलूस निकाला गया। छात्र आन्दोलन से जुड़े हजारों युवजन, छात्राएं और प्राध्यापक प्रदर्शन में शामिल हुए।

जुलूस गांधी मैदान से निकल कर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचा (जहां गत अक्तूबर में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण का पार्थिव शरीर रखा गया था) वहां प्रदर्शनकारियों ने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की जुलूस अशोक राजपथ, बारीपथ, डाक बंगला रोड़ और बेली रोड होता हुआ नए सचिवालय के पास सभा के रूप में परिणत हो गया। राज्य के विभिन्न भागों से १७ मार्च की रात्रि से ही युवजन गांधी मैदान में इकट्ठे होने लगे थे।

जुलूस में एक ओर छात्राएं जहां 'जाति-भेद खत्म करो, सब कोई मिलकर चल करो' का नारा लगा रही थीं, दूसरी ओर छात्रों का समूह 'बरबाद किया जिसने भारत को, उस शिक्षा को खत्म करो' नारा लगा रहे थे।

प्राध्यापकों और बुद्धिजीवियों का वर्ग जीवित व्यक्तियों और जातियों के नामों पर कालेज खोलने के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। जुलूस के आगे खुली जीप पर जयप्रकाश नारायण की तस्वीर रखी थी और जीप के इर्द-गिर्द के प्रदर्शनकारी 'जे० पी० का बिहार जगा दो, तानाशाही को धूल चटा दो' नारा लगा रहे थे।

बाद में प्रदर्शनकारियों के शिष्टमण्डल ने प्रोफेसर के० एन० पोद्दार के नेतृत्व में राज्यपाल को १८ सूत्री मांग पत्र दिया और १९७४ के आन्दोलन की मुख्य चार मांगों तथा ६ मार्च १९७६ को परिषद द्वारा संसद को प्रस्तुत राष्ट्रीय मांग-पत्र पर कार्रवाई करने की मांग की।

जुलूस का नेतृत्व मध्यांचल के संघठन सचिव श्री गोविन्दाचार्य राष्ट्रीय सचिव श्री सुशील कुमार मोदी श्री रविशंकर प्रसाद और किरण पई आदि कर रहे थे।

शैक्षिक मांग पत्र

(१) सन् '७४ के बिहार आन्दोलन की मुख्य चार मांगों को यथा शिक्षा में बदलाव, महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी तथा ६ मार्च ७६ को विद्यार्थी परिषद् द्वारा संसद को प्रस्तुत राष्ट्रीय मांग पत्र पर अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

(२) **परीक्षा**— ● परीक्षा में कदाचार को कड़ाई से रोका जाय।

● वर्ष में १८० दिन पढ़ाई की व्यवस्था।

● ६० दिन में परीक्षाफल का प्रकाशन। समय पर प्रकाशित नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्रवाई।

● सत्र के प्रारम्भ में ही 'एकैडमिक कैलेन्डर' का प्रकाशन।

● परीक्षा के समय कक्षा-स्थगन न हो।

● परीक्षा में अनियमितता की जांच हेतु एक स्थायी 'न्यायाधिकरण' की व्यवस्था।

● परीक्षा अपने महाविद्यालय से ५ कि० मी० की परिधि के भीतर ही ली जाय।

(३) बिहार का शिक्षा बजट बढ़ाकर ७% किया जाय एवं विश्वविद्यालयों को अनुदान का भुगतान समय पर किया जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान का करोड़ों रुपया उपयोग न होने के कारणों की जांच एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।

(४) **रोजगार** ● डिग्री का सम्बन्ध रोजगार से समाप्त किया जाय।

● प्रत्येक युवक के लिए रोजगार तथा रोजगार न मिलने तक 'बेरोजगारी-भत्ता' दिया जाय।

● प्रत्येक जिला केन्द्र पर पॉलिटेकनिक, आई० टी० आई०, शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अन्य रोजगारोन्मुख प्रशिक्षणों की व्यवस्था।

(५) पब्लिक स्कूलों के वर्तमान विकृत ढांचे को समाप्त किया जाय एवं वर्तमान विद्यालयों के स्तर में अपेक्षित सुधार किया जाय।

(६) बिहार के सभी महाविद्यालयों का शिक्षण-शुल्क समान किया जाए।

(७) प्रत्येक छात्र को बेसाली कॉपी, किरासन तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की नियन्त्रित मूल्यों पर आपूर्ति तथा छात्रावासीय क्षेत्र में परीक्षा के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती न की जाय।

(८) ● नये महाविद्यालयों को स्थापित करने पर कुछ वर्षों के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाय एवं वर्तमान महाविद्यालयों के स्तर में सुधार हो।

● जीवित लोगों एवं जातीय नाम पर स्थापित महाविद्यालयों के नाम में परिवर्तन किया जाय।

(९) बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षकों की कमी की समस्या का अविलम्ब समाधान किया जाय।

● योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रान्तीय स्तर पर बी०पी०एस०सी० (B.P.S.C.) के समान प्रतियोगिता-परीक्षा आयोजित की जाय।

● प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, बुक-बैंक आदि की समुचित व्यवस्था हो।

(१०) ● १० वर्षों से सेवा में रत शिक्षकों को चक्रानुसार अधिकतम तीन वर्षों के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाय ताकि महाविद्यालयों में व्याप्त गुटबाजी को कम किया जा सके।

● अनेक महाविद्यालयों में भ्रष्ट एवं अयोग्य प्राचार्यों के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है। ऐसे सभी प्राचार्यों की जांच तक पदमुक्त किया जाय एवं स्थायी तथा योग्य प्राचार्यों को नियुक्त किया जाय।

(११) ● हरिजन, आदिवासी एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था एवं उनके वर्तमान छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार हो।

● छात्र, छात्राओं के लिए अधिकतम छात्रावास की व्यवस्था। निर्माण में विलम्ब होने पर किराये के मकान छात्रावास के लिए अर्जित किये जायें।

(१२) विभिन्न छात्रवृतियों की संख्या एवं राशि बढ़ायी जाय एवं इसके प्रभावी, सामयिक भुगतान की सुचारू व्यवस्था की जाय।

(१३) बिहार की वर्तमान शैक्षिक अराजक स्थिति पर विचार करने हेतु छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासन के प्रतिनिधियों का एक "गोल-मेज सम्मेलन" आयोजित किया जाय।

(१४) होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को निकटस्थ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किया जाय।

(१५) कोसी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों पर "उपकेन्द्रीय कार्यालय" स्थापित किये जायें।

(१६) ● प्रत्येक विश्वविद्यालय में खेल-कूद का पृथक निदेशालय स्थापित किया जाय।

● खेल-कूद का सामान, मैदान, प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो।

● अच्छे खिलाड़ियों को प्रवेश तथा नौकरियों में विशेष सुविधा दी जाय।

● युवा सेवा, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा नेहरू युवा केन्द्र आदि संस्थाओं के क्रिया-कलापों की जांच हो।

(१७) छात्र-संघ चुनावों को कम खर्चीला, स्वच्छ और अधिक रचनात्मक, प्रभावी प्रतिनिधित्व बनाया जाय।

(१८) ● अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड को समाप्त किया जाय।

● इन्टरमीडियेट बोर्ड के औचित्य पर पुनर्विचार किया जाय।

● राज्य सरकार द्वारा लागू नये अध्यादेश में अनेक लोकतान्त्रिक तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन करने वाली बातें हैं जिन्हें अध्यादेश में से हटाया जाय। ●

जम्मू

कार्यक्रम में बैठे हुए भूतपूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी (बांए) बोलते हुए प्रवक्ता लक्ष्मीकांता चावला।

भूतपूर्व सूचना व प्रसारण मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवानी ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा—"जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद अपना पवित्र लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से सभी विद्यार्थी ऐसा ही दृष्टिकोण लेकर आगे आएं तो वर्तमान बिगड़ी हुई भ्रष्ट राजनीति को भी सीधी राह पर लाया जा सकता है। हम अंग्रेजी से नहीं अंग्रेजियत के विरुद्ध है। आज हम अपना 'स्व' छोड़ चुके है। विद्यार्थी परिषद इसको जगाकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर है। अतः मैं अपना साधुवाद देता हूं।"

अधिवेशन का उद्घाटन प्रो० लक्ष्मीकांता चावला (उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पंजाब) के कर कमलों द्वारा हुआ। मुख्य रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री श्री आलोक कुमार अधिवेशन में सम्मिलित हुए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विभाग का दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन ६ फरवरी, १९८० से १० फरवरी रात्रि तक गीता भवन में सम्पन्न हुआ। जिसमें पूरे विभाग से लगभग १५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

परिषद ने अधिवेशन में तीन प्रस्ताव पारित किए।

प्रस्ताव (१) स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हाकी के जादूगर ध्यानचन्द, विश्व में भारत का नाम चमकाने वाले क्रिकेट के खिलाड़ी वीनूमाकड तथा कठुआ जिला विद्यार्थी परिषद के मन्त्री विजय मेहता को श्रद्धांजलियां अर्पित की गई।

प्रस्ताव (२) रूस का अफगानिस्तान पर हमला, अमेरिका तथा चीन की तरफ से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई, पाकिस्तान द्वारा अणु बम का निर्माण, जनरल जिया द्वारा कश्मीर के मसले को पुनः उठाना, इन सब अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्र को जागरूक रहने के लिए कहा गया है।

प्रस्ताव (३) जम्मू कश्मीर राज्य में धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव की आंधी के पीछे विद्यार्थियों की समस्याएं दब कर रह गई है। अतः अधिवेशन मांग करता है कि—

(क) उच्च शिक्षा, नौकरियों तथा व्यवसायी संस्थाओं में दाखिला पूर्णतया शैक्षिक योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

(ख) जम्मू में आयुर्वेदिक कालेज तथा एग्रीकल्चरल कालेज पुनः खोले जाएं और इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण किया जाए।

(ग) संस्कृत विद्यापीठ को उपयुक्त भूमि दी जाए।

(घ) म्यूजिक और फाइन आर्टस कालेज को जम्मू विश्वविद्यालय अपने नियन्त्रण में ले।

(ङ) जिला स्थानों के कालेजों में वाणिज्य (कामर्स) विषय शुरू किया जाए।

(च) जम्मू के लिए अलग से जम्मू बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन स्थापित किया जाए।

(छ) जम्मू-काश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक बड़ी स्वयंसेवी योजना बनाई जाए और मैट्रिक पास सभी युवाओं से उपयुक्त रोजगार न मिलने तक इस योजना सेवा में सहयोग लेकर आजीविका भत्ता दिया जाए।

इन अंगों के पश्चात् प्रस्ताव में कहा गया कि अगर यह मांगें तुरन्त स्वीकार न की गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है।

आगामी अंक में

★ अलीगढ़ मुस्लिम वि० वि० : साम्प्रदायिकता की राजनीति ?
★ पोपरा, पारस बीघा, दोहिया कांड समस्या जातीय संघर्ष की
★ यू. जी. सी. व एन. सी. ई. आर. टी. के घोटाले।
★ शैक्षणिक परिवर्तन पर

विशेष परिचर्चा

ग्रामोन्मुखी शिक्षा की महती आवश्यकता

शिक्षा के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अब तक हुए आयोजनों की भीड़ में अलग हटकर अपनी पहचान स्थापित करने वाला एक आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गत २३-२४ फरवरी को भोपाल में सम्पन्न हुआ। शैक्षिक परिवर्तन पर राष्ट्रीय परिचर्चा का यह आयोजन ग्रामोन्मुखी शिक्षा विषय पर आधारित था। दो दिवसीय इस आयोजन में विषय की आत्मा से साक्षात्कार करने वालों में सर्वश्री प्रो० सुब्रह्मण्यम स्वामी (सांसद व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री) डा० प्रभुदयाल अग्निहोत्री, (भू० पू० कुलपति जबलपुर विश्वविद्यालय) डा० प्रेमचन्द मलहोत्रा (पूर्व प्राचार्य हमीदिया महाविद्यालय) डा० देवेन्द्र शर्मा (कुलपति इन्दौर विश्व वि०) डा० देवेन्द्र दीपक, डा० वल्लभदास मेहता, डा० उमराव सिंह चौधरी, डा० जगदीश प्रसाद द्विवेदी, डा० राजेन्द्र जैन, डा० ज्ञान प्रकाश दूबे, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री शमसुद्दीन, डा० बी० के० पासी, श्री नन्दलाल वैरागी, श्री गोविन्दाचार्य (क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री महेश शर्मा (महामन्त्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डा० रवि माथुर (कुलपति भोपाल विश्वविद्यालय) डा० देवेन्द्र शर्मा (कुलपति इन्दौर विश्वविद्यालय) डा० ब्रह्मदेव शर्मा (सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग) डा० एन० पी० मिश्रा एवं श्री नि० कविश्वर, डा० वा० रा० देशपांडे (कृषि विज्ञान केन्द्र, कस्तूरबा ग्राम केन्द्र इन्दौर) आदि प्रमुख थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भोपाल में आयोजित ग्रामोन्मुखी शिक्षा पर राष्ट्रीय परिचर्चा का औपचारिक प्रारंभ २३ फरवरी को प्रातः ९-३० बजे उद्घाटन से हुआ, जिसमें प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं सांसद डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने नयी सामाजिक व्यवस्था के लिए शिक्षा नीति, विषय वस्तु एवं ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता प्रतिपादित की सरकारों के शैक्षिक परिवर्तन सम्बन्धी उदासीनता की आलोचना करते हुए उन्होंने छात्रों की शिक्षा संस्थाओं तब तक बहिष्कार करने की अपील की, जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो जाता है। उन्होंने ऐसी शिक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित की जो मनुष्य को परिपूर्ण मानव बना सके।

शैक्षिक परिवर्तन के लिए गैर सरकारी प्रयासों के महत्व की ओर संकेत करते हुए डा० स्वामी ने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं से कहा कि वे छोटे-छोटे प्रबन्ध से लेकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न करें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा ढांचा प्रधान (System Oriented) है, जबकि इसे मनुष्य प्रधान (Man-Oriented) होना चाहिए दुनिया में जहां-जहां शिक्षा ढांचापरक है, वहां यथास्थितिवादी सवाल कायम है, शोषण बढ़ रहा है और मनुष्यमात्र व्यवस्था की चक्की में पिस रहा है। चीन का उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि वहां शिक्षा को मनुष्यपरक बनाने की कोशिश चल रही है क्योंकि ढांचापरक शिक्षा विफलता की हद तक पहुंच गयी है।

डा० स्वामी ने सामाजिक जड़ता राजनैतिक अन्तर्विरोध यथास्थितिवादी एवं निहित स्वार्थी तत्वों एवं नये समाज की रचना के लिए अज्ञान, शोषण, विषमता एवं जड़ता के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाने की

सेमिनार का उद्घाटन करते हुए सांसद डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, मध्य में बैठे हुए परिषद के महामंत्री श्री महेश शर्मा

उन्होंने आवश्यकता निरूपित की। विद्यार्थी परिषद के महामन्त्री श्री महेश शर्मा ने परिचर्चा के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विगत वर्ष ६ मार्च को राष्ट्रीय मांग पत्र तत्कालीन जनता सरकार को दिया गया था। शैक्षिक परिवर्तन के मुद्दों को और स्पष्ट तथा व्याख्यायित एवं रूपायित करने के लिए इस वर्ष ६ राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित करने के फैसले की कड़ी में यह परिचर्चा दूसरी है। शैक्षिक परिवर्तन के अभियान की गति को तेज करने की रणनीति के तौर पर इस परिचर्चा से विद्यार्थी परिषद वर्तमान सामाजिक आर्थिक शैक्षिक ढांचे को चुनौती दे रहा है। परिचर्चाओं की नियत आम तौर पर बहस-विचार तक सीमित रहती है, जब कि हम मात्र बहस के लिए इसे आयोजित नहीं कर रहे हैं।

शैक्षिक परिवार, जिसमें प्राध्यापक और छात्र सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं, में परिवर्तन की सम्बन्ध शक्ति एवं इसके लिए अनवरत प्रयास के अभाव और सतही सुविधाओं के लिए प्रयासशील की स्थिति की वास्तविकता को स्वीकारते हुए श्री शर्मा ने कहा कि एक ओर सरकारों पर शैक्षिक परिवर्तन के लिए ओर दबाव निर्माण करना और दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रयासों को त्वरितता प्रदान करना ऐसी परिचर्चाओं के उद्देश्यों में से एक है।

राष्ट्रीय विकास-योजना में शिक्षा की उपेक्षा के लिए सभी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए श्री महेश शर्मा ने मांग की कि शिक्षा को योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। शिक्षा को न्यायपालिका की तरह स्वायत्तता दिये जाने की जरूरत निरूपित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा पीठ की स्थापना की जानी चाहिए।

दो दिवसीय परिचर्चा को चार हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें प्राप्त २६ आलेखों में १७ पढ़े गए और ६० शिक्षाविदों ने भाग लिया।

एक तो यह है कि ग्रामोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता, दूसरा ग्रामोन्मुखी शिक्षा सन्दर्भ में वर्तमान शिक्षा की कमियाँ, तीसरा पहले विकल्प, ढांचा एवं अर्थ विनियोजन, चौथा यह कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चस्तरीय ग्रामोन्मुखी शिक्षा का स्वरूप।

प्रख्यात विचारक एवं समाज सेवी श्री एस० एन० सुब्बाराव ने परिचर्चा का समापन करते हुए जीवन जगत से जुड़ी हुई शिक्षा की जरूरत निरूपित की। अपने व्यावहारिक अनुभवों का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि आज की शिक्षा मनुष्य को एकांगी, संकुचित एवं स्वार्थी बनाती है, जिसके फलस्वरूप मानवता क्रन्दन, संघर्ष एवं आरोपित दुराव का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति तोड़ती है परन्तु शिक्षा को तो जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद् की रचना धर्मिता एवं शैक्षिक परिवर्तन के प्रयासों की सराहना करते हुए इस समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया।

परिचर्चा में वर्तमान शिक्षा एवं उसके ढांचे को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में—अपर्याप्त निरूपित किया गया। परिवेश एवं परंपरा से अलग-थलग वर्तमान शिक्षा जहाँ एक ओर वांछित निर्माण में असफल है वहीं असन्तुलन, विषमता एवं शोषण का हथियार बनी हुई है। साथ ही, यह गांवों के चौतरफा शोषण का माध्यम बनी हुई है। इस शिक्षा का सर्वस्पर्शी स्वरूप है ही नहीं। प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता को बढ़ाना, ग्रामीण तकनीक से विकास पर बल, श्रम—स्वावलम्बन व खेलकूद का शिक्षा में समावेश, शिक्षा की योजना परिवेश की जरूरतों के अनुरूप करने एवं ग्रामीण संसाधनों के उपयोग, उपाधि को नौकरी से अलग करने एवं अनौपचारिक शिक्षा को महत्व दिये जाने तथा शिक्षकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने आदि मुद्दे परिचर्चा में उभरे। साथ ही, सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ग्रामाभिमुखी बनाने के लिए न्यूनतम पूंजी, श्रम, नयी तकनीक का सहयोग, सहयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया।

कृषि और ग्रामोन्मुखी तकनीक को शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर कार्यानुभव और समाज सेवा के अन्तर्गत कारगर ढंग से जोड़ने की जरूरत अनुभव की गयी।

इसके अतिरिक्त-Social Wurkers Training Institute खोलने, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने, मेडिकल, कृषि, अभियांत्रिकी के विषयवस्तु में परिवेश और जरूरतों के अनुरूप व्यापक परिवर्तन आदि का भी सुझाव दिया गया।

● राम बहादुर राय

(पृष्ठ १७ का शेष भाग)

भौतिकवाद को अध्यात्म से अलग करने की आवश्यकता है। इसका केवल मात्र हल है अध्यात्मिकता तथा भौतिकवाद में समन्वय स्थापित करना। उन्होंने आगे कहा कि यह भी बहुत आवश्यक है कि शिक्षा में दूरगामी परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान शैक्षणिक कार्य प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर सुधार किए जाए।

इस परिचर्चा का उद्घाटन ८ मार्च को श्री यू० आर० राव, आई० एस० आर० ओ० बंगलोर के निर्देशक महोदय ने किया तथा दक्कन हेराल्ड के सम्पादक श्री वी० के० नरसीहम उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक स्मृति मन्जूषा का विमोचन डा० वी० के० गोकाक ने किया तथा प्रो० कृष्ण भट्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अ. भा. विद्यार्थी परिषद भी इस परिचर्चा में उपस्थित रहे।

इस परिचर्चा में चारों दक्षिणी राज्यों के लगभग १०० विद्यार्थी तथा प्राध्यापक प्रतिनिधि के नाते उपस्थित रहे। ★

आधुनिक शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कर्नाटक प्रान्त इकाई द्वारा "शिक्षा परिवर्तन" पर एक राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन ८-९ मार्च को किया गया। यह परिचर्चा "आधुनिक शिक्षा में भारतीय मूल्य" विषय पर आयोजित की गई थी।

इस परिचर्चा में सुप्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक डा० वी० के गोकाक ने अपना विश्लेषण "भारतीय संस्कृति की मूलभूत मान्यताएं" विषय पर प्रस्तुत किया। डा० गोकाक ने बलपूर्वक कहा कि भारतीय संस्कृति की मूल मान्यताओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय इतिहास का एकात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाए। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ है वह मानव के सभी गुणों, विश्वास एवं तर्क बुद्धि एवं भावना, इच्छा एवं हृदय, शरीर एवं आत्मा, की पूर्ण सन्तुष्टि का साधन उपलब्ध करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल प्रवाह अध्यात्मिकता है।

"आधुनिक भारत में भारतीय मूल्यों की प्रासंगिकता" पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुप्रसिद्ध कन्नड़ लेखक प्रो० गोपाल कृष्ण अडिग ने निर्दिष्ट किया कि भारतीय जीवन मूल्यों का चार भागों में विभाजन हो सकता है; धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इन चारों मूल्यों की प्रासंगिकता को आज भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे मूल्यों का उदय जिस समाज में हुआ था वह अब लगभग पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो गया है तो भी समाज की नई रचना करने की आवश्यकता भी है। प्रसिद्ध लेखक का मत था कि अध्यापक वर्ग को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उनके जीवन का अनुसरण विद्यार्थी समुदाय कर सके।

"आधुनिक भारत में शिक्षा-दर्शन का विकास' विषय पर बोलते हुए एम० ई० एस० कालेज बंगलौर शिक्षा विभाग में रीडर डा० एम० एन० कुलकर्णी ने कहा कि गोखले, तिलक, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविन्द तथा गांधी जैसे राष्ट्रीय महापुरुषों ने भारतीय आवश्यकताओं तथा सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुकूल ही शिक्षा का प्रसार करने पर बल दिया। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य "मनुष्य निर्माण" करना है तथा श्री अरविन्द के अनुसार करते थे।

श्री के० एस० नारायण, प्रसिद्ध सर्वोदय नेता ने "महात्मा गांधी की शिक्षा की कल्पना" पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि गांधी जी चाहते थे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की जड़ें भारतीय संस्कृति में हों। शिक्षा की सांस्कृतिक उपयोगिता के नाते तीन पक्ष हैं; संस्कृति का संरक्षण, प्रसार तथा नवीनीकरण। संस्कृति के नवीनीकरण से गांधी जी का अभिप्राय था, नई सामाजिक व्यवस्था के लिए मनुष्य का पूर्ण परिवर्तन।

स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री सुमानन्द मंनी (उद्योगपति) स्वागत भाषण देते हुए। बैठे हुए: श्री दत्तात्रेय (राष्ट्रीय मंत्री, विद्यार्थी परिषद) कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री नरसिंहम, मुख्य अतिथि श्री राव व परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण भट्ट।

"सच्ची तथा जीवन्त शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उस राष्ट्र के जिससे उसका सम्बन्ध है; जीवन, मस्तिष्क तथा आत्मा से ठीक तादात्म्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है।" शिक्षा के विषय में टैगोर की कल्पना को स्पष्ट करते हुए श्री कुलकर्णी ने कहा कि महाकवि की शिक्षा एवं जीवन की कल्पना स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता तथा आत्मानुभूति पर आधारित है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रत्येक राष्ट्र की राजनीतिक आर्थिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता में विश्वास

"आधुनिक भारतीय शिक्षा में आधारभूत मूल्यों का कार्यान्वयन" के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए आई० एस० ई० सी० बंगलोर के प्राध्यापक प्रो० एस० आर० रोहिडकर ने विचार व्यक्त किया कि शिक्षा में भारतीय मूल्यों को समाहित करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को समूल परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है और न ही विज्ञान तथा तकनीकी के लाभों को दूर करने की आवश्यकता है तथा न ही

(शेष पृष्ठ १६ पर)

शिक्षा मंत्री को खुला पत्र

"केन्द्र सरकार शिक्षा-नीति स्पष्ट करे"

श्री बी० शंकरानन्द

श्री महेश शर्मा

महोदय,

राष्ट्रीय विकास की सही दिशा के साथ जोड़ने के लिये वर्तमान शैक्षणिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता लम्बे समय से अनुभव होने के बाद भी आज देश में यह आम सहमति है कि इस दृष्टि से अभी तक सार्थक और ठोस कदमों का बुरी तरह अभाव रहा है। यद्यपि शैक्षिक ढांचे का काफी विस्तार हुआ है और समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयोग भी हुए हैं, लेकिन ये प्रयास या तो अधूरे रहे हैं या गलत दिशा में रहे हैं। यह एक कटु सत्य है कि स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द, श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, महामना मालवीय और महात्मा गांधी द्वारा इस विषय पर दिखाये गये रास्ते से हम भटक गये हैं। इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि एक ओर राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में मूल्य-निष्ठा का जबरदस्त अभाव है एवं भ्रष्टाचार-उच्छृंखलता-अनुशासनहीनता का वातावरण फैला हुआ है तथा दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा के लाभ से अछूता है, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सम्पन्न और गरीब लोगों के लिए मौजूद दोहरा ढांचा विषमता की खाई को गहरा बना रहा है, बेरोजगारी की समस्या निरन्तर भीषण रूप धारण कर रही है। हमें विश्वास है कि उपरोक्त सन्दर्भ में आप भी बहुत चिन्तित होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने इस मुद्दे पर पिछले वर्षों में देश का ध्यान आकृष्ट करने का लगातार प्रयास किया है। ६ अगस्त १९७८ को केन्द्र सरकार को दिये गये ज्ञापन में हमने शैक्षिक परिवर्तन के लिए ठोस सुझाव रखे थे तथा इस दिशा में कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए गत ६ मार्च ७९ को देश के लगभग ८ लाख छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के हस्ताक्षर से युक्त एक याचिका संसद को प्रस्तुत की थी। इसी सन्दर्भ में हम इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि केन्द्र सरकार शिक्षा-नीति पर स्थिति स्पष्ट करे। केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि :

(१) राष्ट्रीय विकास योजना में शैक्षिक परिवर्तन को उचित प्राथमिकता दी जाये तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर सुसंगठित एवं समन्वित प्रयास किये जायें। शैक्षिक सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का न्यूनतम १० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो।

(२) शैक्षिक प्रशासन को सभी स्तरों पर स्वच्छ एवं सक्षम बनाने के साथ ही स्वायत्त, विकेन्द्रित एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए युक्तिसंगत ढांचा विकसित किया जाये। राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण और इसके कार्यान्वयन में समन्वय एवं समीक्षा के लिए सर्वोच्च अधिकार एवं संवैधानिक-स्वायत्तता प्राप्त "राष्ट्रीय शिक्षापीठ" (नेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन) की स्थापना की जाये। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी नीति तय करें लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का निर्धारण एवं संचालन ऐसी स्वायत्त संस्था द्वारा किया जाये जो दलीय-राजनीति के प्रभावों से मुक्त हो।

(३) भारतीय जीवन-मूल्यों एवं आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए शिक्षा की विषय-वस्तु में व्यापक बदलाव हो। भारतीय संस्कृति की संपन्न विरासत और राष्ट्रीय एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टि के इतिहास के शिक्षण पर बल देकर शिक्षा को भारतीय जीवन-मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए सुनियोजित प्रयास किया जाये। बेरोजगारी की समस्या का सामना करने तथा शिक्षा के रोजगारोन्मुखीकरण को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए आर्थिक-औद्योगिक तंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जायें ताकि लघु एवं कुटीर उद्योगों को कानूनी संरक्षण एवं हर संभव प्रोत्साहन मिल सके तथा इनके द्वारा संभव उत्पादन को बड़े उद्योगों एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता से बचाया जा सके। राष्ट्रीय विकास योजना एवं शिक्षा को ग्रामोन्मुखी बनाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाये।

(४) सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाये।

(५) शिक्षा के अवसरों में समानता के लिए प्रयास हो ताकि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षा का समुचित लाभ मिल सके। पब्लिक-स्कूलों का वर्तमान ढांचा समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

(६) शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता एवं अस्तव्यस्तता को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।

हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त मुद्दों पर समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए उचित स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जाये। हमें आशा है कि आप इस दिशा में समुचित कदम यथाशीघ्र उठायेंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के हर कार्य में यथासम्भव सहयोग के लिए हम सदैव तैयार हैं।

(**महेश शर्मा**, महामंत्री, अ० भा० वि० प०)

अफगान मुक्ति सम्मेलन

अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप असहनीय

२८ दिसम्बर १९७९ को जब रूसी टैंकों ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और चार दिन के अन्दर ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हबीबुल्ला अमीन को मौत के घाट उतार दिया तो तमाम संसार की शान्ति प्रेमी और स्वातन्त्र्य प्रेमी जनता ने प्रचण्ड बहुमत से इस अनावश्यक आक्रमण और घिनौने हत्या काण्ड की खुले शब्दों में निन्दा की। यद्यपि भारत सरकार ने इस आक्रमण की, जो तीसरे भयानकतम विश्व-युद्ध का कारण बन सकता है। साफ़ शब्दों में निन्दा नहीं की है ; पर भारत की स्व-तन्त्रता प्रेमी जनता ने आक्रमण के खिलाफ़ अपनी आवाज़ को कई तरह से और बड़े असरदार तरीके से बुलन्द किया है। इस तरह का एक तरीका ८ मार्च १९८० को नई दिल्ली में सम्पन्न हुए "अफ़गानिस्तान में रूसी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन" में देखने को मिला।

यह अफगान सम्मेलन दिन भर का रहा जिसमें सत्तर के लगभग प्रतिनिधियों और २५० से अधिक गैर-प्रतिनिधि भागीदारों ने हिस्सा लिया। पूरे सम्मेलन को उद्घाटन सत्र के अलावा तीन सत्रों में बांट कर रखा गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध न्यायविद् जस्टिस तारकुण्डे ने अफगान समस्या का बारीकी से विवेचन करते हुए उसे रूसी साम्राज्यवादी स्वभाव परिप्रेक्ष्य में देखा। इसके बाद हुए पहले सत्र में जनतापार्टी के महासचिव श्री सुरेन्द्रमोहन, प्रख्यात, राजनीतिविद् श्रीमती नयनतारा सहगल, जनता नेता डॉ० सुब्रह्मण्यम् स्वामी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेता श्री सत्यनारायण सिंह ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तथा एशिया की शान्ति और आर्थिक विकास पर इससे पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं की यह लगभग सर्वसम्मत राय थी कि अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों का प्रवेश एक बर्बर हमला है तथा बर्बरक करामाल का रूसी सैनिकों को अफगानिस्तान में आने का निमन्त्रण एक झूठा रूसी बहाना है।

भोजनोपरान्त हुए दूसरे सत्र में अफगान समस्या पर विवेचनात्मक बहस हुई तथा अफगानिस्तान पर रूस के साम्राज्यवादी कब्जे के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार करने के लिए आगे के कार्यक्रम के बारे में विचार हुआ तथा प्रतिनिधियों ने यह तय किया कि १९७८ की तथाकथित 'रूस अफगान मैत्री सन्धि' के बहाने का पर्दाफाश करके रूस के असली साम्राज्यवादी इरादों के बारे में आम जनता को सही तस्वीर बताने की बहुत आवश्यकता है।

तीसरे सत्र में रूसी कब्जे के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किए गए।

शाम को विट्ठलभाई पटेल हाउस के सम्मेलन स्थल पर ही एक विशाल जन सभा हुई। इस विशाल सभा में भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामन्त्री श्री महेश शर्मा, श्रीमती नयनतारा सहगल, डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी, श्री सत्यनारायण सिन्हा, श्री राम जेठमलानी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस विशाल सभा में प्रमुख वक्ता श्री वाजपेयी ने अपील की कि श्रीमती गांधी की सरकार रूस से अपनी दोस्ती के आधार पर उसे अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने के लिए मजबूर करे। उन्होंने कहा कि रूसी सरकार का यह दावा कि अफगानिस्तान के बर्बरक करमाला के तथा सरकार के निमन्त्रण पर ही रूसी सेना ने वहां प्रवेश किया है बेमानी है क्योंकि न केवल वह निमन्त्रण मानना रूस के लिए अनिवार्य नहीं है अपितु करमाल का रूसी सेना के प्रवेश के समय अफगानिस्तान से बाहर होना और रूसी सेना द्वारा सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हबीबुल्ला अमीन की हत्या करना उनके इरादों के बारे में गम्भीर शक पैदा करता है।

इसी विशाल जनसभा में बोलते हुए अ. भा. विद्यार्थी परिषद के महामन्त्री श्री महेश शर्मा ने कहा कि अफगानिस्तान के संकट पर भारत सरकार ने अभी तक बहुत ढुलमुल रवैया अपनाया है। ऐसा दिखाई पड़ा है कि रूसी सैनिक आक्रमण के लिए 'औचित्य' बताने का प्रयास प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने बार-बार किया है। श्री महेश शर्मा ने आगे कहा कि जहां एक ओर यह सन्तोष की बात है कि देश में प्रायः सभी जागरूक संगठनों और लोगों ने रूसी कार्यवाही की कड़ी निन्दा की है, वहीं यह भी शर्म की बात है कि देश की दोनों कम्यु-निस्ट पार्टियों ने रूसी हमले का स्वागत किया है इसे 'क्रांति की रक्षा' माना है। इसमें दो मत नहीं कि रूसी आक्रमण के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और महाशक्तियों के हस्तक्षेप की आशंका से इस क्षेत्र में शान्ति के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है।

पूर्वांचल में अलगाववाद फैलाने

देश के जनजीवन की मर्यादाओं के प्रति उभड़ रहे खतरों तथा महाशक्तियों के नापाक विघटनवादी षड्यन्त्र के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने नागपुर में सम्पन्न अपनी त्रिदिवसीय बैठक में, इस स्थिति को बदलने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट की है तथा सरकार से विवेकपूर्ण कदम उठाने का आग्रह किया।

दिवंगत हुतात्माएं

बैठक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए संघ से उनके आत्मीय संबंधों का स्मरण किया गया एवं अधिनायकवादी प्रवृत्ति का उच्छेद कर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित करने के निमित्त उनके अनुष्ठान की महत्ता का उल्लेख करते हुए उन्हें समग्र क्रांति का उद्गाता व दलित और उपेक्षित वर्ग का आश्रय-बाहु कहा गया। सभा में विदर्भ, मध्यभारत एवं महाकौशल प्रान्तों के संघचालकों श्री अप्पा जी जोशी, प० रामनारायण शास्त्री व भैयालाल जी सर्राफ के निधन पर भी हार्दिक शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

देश के राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में कार्यरत अनेक महानुभावों के निधन पर भी प्रतिनिधि सभा ने अपनी शोकाञ्जलि अर्पित की। इनमें श्री चन्द्रभानु गुप्त, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार, श्री के० सन्थानम्, मेजर ध्यानचन्द, मदुरै आधीन पीठाधिपति तिरु ज्ञान संबंध स्वामी, डा० सतीश चन्द्र गुप्त, श्री दादा साहेब कम्बले तथा श्री अण्णा साहेब सहस्त्रबुद्धे प्रमुख हैं।

केरल में समस्त मानवीय मर्यादाओं एवं लोकतंत्रीय गरिमा को लांघकर मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की संघ विरोधी गतिविधियों की भर्त्सना करते हुए प्रतिनिधि सभा ने यह मत व्यक्त किया है कि "संघ के तीव्र विस्तार को रोकने में सैद्धांतिक मोर्चे पर विफल रहने के बाद मार्क्सवादियों ने सभी विरोधियों को कुचलने के लिए पुलिस-तन्त्र का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। अपनी विधिवत् निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने के केन्द्र के षड्यन्त्र की जोरशोर से शिकायत करने वाले मार्क्सवादियों को यह महसूस करना चाहिए कि राज्य में सभी संगठनों को अपनी न्यायोचित गतिविधियों

संघ के सरकार्यवाह प्रो० राजेन्द्र सिंह

को बिना बाधा के चलने के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा दायित्व उनके ऊपर भी है।"

प्रतिनिधि सभा ने कड़े शब्दों में केरल सरकार को उसके लोकतंत्र-विरोधी रवैये के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा है कि, "अपने से असहमति रखने वालों के प्रति शत्रु के रूप में व्यवहार करना अनुचित है। प्रतिनिधि सभा को आशंका है कि यदि जनता के मूलभूत नागरिक अधिकारों को कुचला गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है कि जनता का सरकार में विश्वास ही समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगी तथा इसकी सारी जिम्मेदारी केवल सत्तारूढ़ दल की ही होगी।"

हिंसा का दौर कब तक

उल्लेखनीय है कि केरल में मार्क्सवादी दल द्वारा चुनाव में सत्तारूढ़ होने के बाद विशेषरूप से संघ के स्वयंसेवकों तथा शुभचिन्तकों के प्रति हिंसक व आगजनी की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। तेल्लीचेरी क्षेत्र में गत वर्ष एक दर्जन से भी अधिक व्यक्ति मार्क्सवादियों की बर्बरता का शिकार हुए तथा बमों व छुरों के हमले से महिलाओं तथा बच्चों तक को शिकार बनाया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदार पुलिस निहायत निर्लज्जता से पक्षपात कर रही है और मार्क्सवादियों के इशारे पर निर्दोष व्यक्तियों को ही हिरासत में लेकर ऐसा वातावरण निर्मित करने में कम्युनिस्टों की मदद कर रही है जिसमें हरिजन, खेतिहर मजदूर व मछुआरे सहित गरीब व पिछड़े वर्ग के लोग भय से संघ में सम्मिलित न हों।

जातीय विद्वेष के विरुद्ध

चुनाव के समय उभारे गए जातीय विद्वेष की कड़ी निन्दा करते हुए प्रतिनिधि सभा ने बिहार में पारस-बीघा, दोहिया तथा पिपरा आदि स्थानों में हुए अमानवीय अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा सभी राजनीतिक नेताओं से यह आग्रह किया कि वे संकुचित दलीय लाभ के लिए जाति-

का विदेशी दुष्चक्र तोड़ना होगा

गत भावनाओं को भड़काकर समाज में विच्छिन्नता के बीज न बोएं।

समाचार पत्रों से ऐसी घटनाओं की संयमित व विद्वेष-हीन रिपोर्टिंग करने का अनुरोध करते हुए प्रतिनिधि सभा ने यह मत व्यक्त किया कि जातीय संघर्ष के समय तत्परता पूर्वक बिना किसी पक्षपात के समाज विघातक तत्वों के प्रति कड़ी कार्यवाही करना शासन का अनिवार्य कर्त्तव्य है। सर्वसाधारण समाज को भी ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग देना चाहिए जिससे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित न हों। संघ के स्वयंसेवकों से प्रतिनिधि सभा ने यह अपेक्षा व्यक्त की है कि ऐसे किसी भी विषाक्त वातावरण में धैर्यपूर्वक वे समाज में सौहार्द बनाए रखें व पीड़ित बान्धवों की सहायता करें।

विस्तारवादी षड्यंत्र

भारत के पूर्वांचल में स्थित मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर व त्रिपुरा आदि पर्वतीय राज्यों में बसे देश के अन्य प्रांतवासियों को विदेशी मानकर उनके प्रति घृणा का भाव पैदा करने तथा हत्या, आगजनी आदि आतंकवादी कार्यवाहियों की प्रतिनिधि सभा ने कड़ी निन्दा की है तथा यह मत व्यक्त किया है कि, "गत डेढ़ सौ वर्षों में विदेशी ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों की सेवा के नाम पर उनका धर्मान्तरण कर उनमें अलगाव के जो बीज बोए वे ही आज भारत से अलग स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण की मांग के कटु फल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अंग्रेजों के काल में इस क्षेत्र को भारत की परिधि से बाहर रखने के लिए किए गए षड्यन्त्र को आज अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी व विस्तारवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है जिससे इस क्षेत्र में विच्छिन्नतावादी मांगें जोर पकड़ रही हैं।"

"विदेशी मिशनरियों के कारण जनजातियों के वैशिष्ट्य को पिछले १५० वर्षों में अपार क्षति पहुंची है जबकि हिन्दू समाज के अंग के रूप में हजारों वर्षों तक साथ रहते हुए भी उनकी विशिष्टताएं सुरक्षित रहीं क्योंकि समस्त वैशिष्ट्यों की रक्षा करते हुए सबको एक व्यापक एवं उदार सांस्कृतिक भावधारा में सम्मिलित करके चलना हिन्दू समाज की विशेषता रही है। प्रतिनिधि सभा ने सीमान्तवर्ती क्षेत्रों में विदेशी धन व उनके हस्तकों पर रोक लगाने तथा वहां व्यापक स्तर पर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने की मांग की है।

शाबास ! असम

असम आन्दोलन के संचालकों-अखिल असम छात्र परिषद व गण संग्राम परिषद की संयमशीलता की प्रशंसा करते हुए प्रतिनिधि सभा ने उनसे अपेक्षा व्यक्त की है कि आगे भी शांतिपूर्ण मार्गों से ही समस्या को हल कराने के लिए वे प्रयत्नरत रहेंगे। इसके साथ ही सरकार से यह मांग भी की गई है कि वह घुसपैठियों को निकाल बाहर करने के लिए दृढ़तापूर्वक कदम उठाए, शरणार्थियों का संपूर्ण दायित्व लेकर सारे देश में उन्हें बसाए तथा ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था उत्पन्न करें जिससे भविष्य में इस समस्या की पुनरावृत्ति न हो सके।

केरल में संघ के सीधे विस्तार को रोकने में सैद्धान्तिक मोर्चे पर विफल रहने के बाद सत्तांध मार्क्सवादियों द्वारा संघ के स्वयंसेवकों तथा शुभचिन्तकों के प्रति हिंसक व आगजनी घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो एक चिन्तनीय विषय है।

गत दिनों जातीय संघर्ष में हुए अमानवीय अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राजनीतिज्ञों से यह आग्रह किया कि वे संकुचित दलीय लाभ हेतु जातिगत भावनाओं को भड़काकर समाज में विच्छिन्नता के बीज न बोएं"

नेत्रहीनों पर बर्बर लाठीचार्ज

गत १६ मार्च को दिल्ली में दृष्टिहीनों पर हुए लाठी चार्ज से जहाँ मानवीय संवेदनाओं पर कुठाराघात हुआ है, वहां दूसरी ओर पुलिस का चरित्र व सरकार के लोककल्याणकारी होने के दावे का खोखलापन साफ नजर आता है। लगभग ३०० दृष्टिहीन व्यक्तियों व बच्चों ने विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर अपनी मांगों से प्रधान मंत्री को अवगत कराने हेतु एक जुलूस निकाला लेकिन पुलिस की क्रूरता से मांग पत्र देना तो दूर स्वयं को बचाना मुश्किल हो गया। पहाड़ गंज से प्रारम्भ हुए इस जुलूस में राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से आए दृष्टिहीनों ने भाग लिया था, जैसे ही यह जुलूस संसद मार्ग के समीप पहुंचा तो जयसिंह रोड स्थित चौराहे पर पुलिस ने इस जुलूस को रोका लेकिन दृष्टिहीन प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों सम्बन्धी ज्ञापन प्रधानमंत्री को देना चाहते थे, ने आगे बढ़ने का प्रयास किया किन्तु निषेधाज्ञा का बहाना लेकर पुलिस ने जिस बेरहमी से लाठी चार्ज किया वह सारे समाज के लिए शर्मनाक घटना है।

इस लाठी चार्ज में लगभग ५० दृष्टिहीन घायल हुए जिनमें चार अत्यन्त चिंताजनक स्थिति में हैं। ११८ दृष्टिहीन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जहां उन्हें अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई।

इन प्रदर्शनकारियों की मांगे थीं कि उन्हें भी अनुसूचित जाति के समान घोषित किया जाए तथा शिक्षा, रोजगार व सामाजिक एकीकरण के साधन व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

जब पुलिस की लाठी इन दृष्टिहीनों पर बरस रही थी बड़ा ही करुणापूर्ण दृश्य उपस्थित हो गया था। दृष्टिहीनों के चश्मे, सहारे की लाठी क्रमशः आंखों व हाथों से छिटक कर इधर-उधर गिर गए थे। सिरों से बहता खून, बच-तच चोटों के निशान दिल्ली पुलिस के अत्याचारों की कहानी कह रहे थे तथा बचने के लिए दौड़ रहे नेत्रहीन प्रदर्शनकारी सड़क पर असहाय अवस्था में तड़प रहे थे। लाठी चार्ज के ढाई घंटा व्यतीत होने के पश्चात् भी इन घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान नहीं की गई। संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने की हवालात में ये नेत्रहीन प्यासे व थके-हारे घायलावस्था में पड़े रहे।

दृष्टिहीन महासंघ के महासचिव सन्तोष कुमार रूमटा के अनुसार प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने सम्बन्धी सभी कानूनी कार्यवाही १५ दिन पूर्व ही पूर्ण कर ली गई थी। आगे उन्होंने बताया कि एक सौ से अधिक व्यक्ति घायल हुए है, जिनमें से २५ की हालत खराब है। तथा तीन अभी भी अस्पताल में है जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार इस दौरान चार व्यक्ति घायल हुए थे।

इस घटना ने सम्पूर्ण समाज में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री द्वारा इस घटना के लिए क्षमा मांगना, लेकिन उनकी ही सरकार के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह द्वारा संसद के वक्तव्य में 'कथित लाठीचार्ज" कहना इरादों को स्पष्ट नहीं करता। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस घटना की न्यायिक जांच के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्री डी० सी० अग्रवाल की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है जिसे तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्रश्न यह है कि इस तरह की न्यायिक जांच के द्वारा समस्या का समाधान कैसे निकल पाएगा। इस बीच संसद मार्ग थाने के इंचार्ज श्री आर० एन० बहल को मुख्यालय तथा नयी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त श्री पी० एस० बरार का तबादला कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबर्दस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा में सरकार से मांग की गयी कि वह बेसहारा दृष्टिहीनों पर पुलिस बर्बरता के लिए सारे राष्ट्र से बिना शर्त माफी मांगे। कुछ सदस्यों ने गृहमंत्री तथा राजधानी के पुलिस आयुक्त पी० एस० भिण्डर के इस्तीफे की मांग भी की। लोकसभा में गृहमंत्री व राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री योगेन्द्र मकवाना द्वारा अपने-अपने वक्तव्यों में 'कथित लाठीचार्ज' शब्दों के प्रयोग पर विपक्षी सदस्यों ने प्रतिरोध किया और बाद में सदन से वाक आऊट करके चले गए।

जनता युवा मोर्चा के २०० से अधिक कार्यकर्त्ताओं का एक जुलूस चाँदनी चौक में निकला जिसमें दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही व घायल नेत्रहीनों को राहत देने की मांग की गई है। जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने नेत्रहीनों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए प्रशासन व पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है वह दृष्टिहीनों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें पूरा करें। विद्यार्थी परिषद की दिल्ली शाखा ने भी इस लाठी चार्ज का विरोध करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

इस सारे कांड में से यह प्रश्न उठता है कि इस तरह की घटनाओं का स्थायी समाधान क्या है? दिल्ली पुलिस का चरित्र ही ऐसा बन गया है कि वह बगैर बल प्रयोग के बात नहीं करती। विचारणीय मुद्दा है जब १५ दिन पूर्व जुलूस की अनुमति मिल चुकी थी तो उस दिन क्यों रोका गया? भारत के इतिहास में शायद यह पहली घटना है जबकि नेत्रहीनों पर लाठियां बरसाई गई हों। नैतिकता का तकाजा है कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त प्रीतमसिंह भिण्डर त्यागपत्र दें अथवा केन्द्रीय सरकार उन्हें बर्खास्त करे। ★

राजकुमार शर्मा

हलचल

■ प्र० : अनिल कुमार भाटिया

औरतों का हाकी खेलना 'इस्लाम' के खिलाफ

पाकिस्तान में महिलाएं हाकी खिलाड़ियों को लेकर चला आ रहा विवाद अब सिन्ध की एक 'शरीयत अदालत' द्वारा निपटाया जायेगा।

सिन्ध उच्च न्यायालय की एक शरीयत पीठ' में याचिका दायर की गयी है, जिसमें दरखास्त की गयी है कि औरतों के लिए हाकी और क्रिकेट का खेल खेलना इस्लाम के खिलाफ है।

याचिका दायर करने वाले ने कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा है कि 'इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा करने की हिदायत है'। अतः महिला खिलाड़ियों का पुरुषों के सामने खेलना 'कुरान शरीफ' की हिदायतों के खिलाफ है।

एक उर्दू अखबार के अनुसार याचिका दायर करने वाले ने कहा है कि पाक के संविधान के अनुसार इस देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो 'कुरान शरीफ' के निर्देशों के विपरीत हो। आजकल पाक संविधान स्थगित किया हुआ है।

महिला हाकी खिलाड़ियों के बारे में पिछले तीन वर्षों से विवाद चल रहा है। बहुत सी स्त्रियों ने शिकायत की है कि कुछ लोग उन्हें इस्लाम के नाम पर घर की चार दीवारी में बन्द रखना चाहते हैं।

ओलम्पिक के लिए दुभाषियों की जांच

राजनीति में सक्रिय छात्रों को मास्को में होने वाले ओलिम्पक खेलों के दौरान दुभाषियों के रूप में नहीं रखा जायेगा। रूस सरकार द्वारा इस मामले में गम्भीर रूप से छात्रों की परीक्षाएं ली जा रही हैं।

एक सोवियत दैनिक के अनुसार केवल उन्हीं छात्रों को दुभाषिया का काम सौंपा जाएगा जिन पर सरकार का विश्वास हो इन दिनों इन सभी छात्रों के राजनीतिक चरित्र की जांच की जा रही है, सरकार का कहना है कि इन छात्रों को विदेशी मेहमानों से नजदीकी संपर्क नहीं बनाने दिया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय

तीन प्रमुख अधिकारी पदमुक्त होंगे ?

दिल्ली विश्वविद्यालय में नये कुलपति प्रो० गुरबख्शसिंह की नियुक्ति के साथ ही विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के पदमुक्त होने की सम्भावनाएं भी प्रबल हो गई है।

प्रो० वाइस चांसलर प्रो० यू० एन० सिंह, दक्षिण परिसर के निदेशक प्रो० के० बी० रोहतगी और कालेजों के डीन श्री मोहिन्दर सिंह के पदमुक्त होने की जहां तक एक तरफ जोरदार अटकलें लगाई जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई है।

विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत ये तीनों ही पद कुलपति पद से जुड़े हैं। कुलपति के सेवा निवृत होते ही ये पद भी रिक्त समझे जाते हैं। जब तक कि नए कुलपति द्वारा नए सिरे से उनकी नियुक्ति न करे।

विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विश्वविद्यालय शिक्षक जगत में विभिन्न वर्ग के लोग प्रो० गुरबख्शसिंह को इन तीनों पदों पर अधिकारियों को बनाए रखने या नव नियुक्तियां करने के बारे में अपनी राय देने में लगे हैं और राजनैतिक सूत्रों के माध्यम से भी उन पर प्रभाव डाला जा रहा है यहां तक कि एक वरिष्ठ अधिकारी तो इस मामले में बनारस जाकर प्रो० गुरबख्श सिंह से भेंट भी कर आए है। प्रो० गुरबख्श बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है।

दिल्ली वि० वि० संघ

असम के छात्रों को समर्थन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक शिष्टमंडल ने अखिल असम छात्र संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी से भेंट कर उनके आन्दोलन को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया तथा असम जाकर उनके साथ सत्याग्रह में भाग लेने का फैसला किया है।

वि० वि० छात्र संघ ने इस सम्बन्ध में बजट अधिवेशन के दौरान संसद भवन पर प्रदर्शन करने का भी निर्णय किया।

वि० वि० छात्र संघ ने श्रीमती इन्दिरा गान्धी के उपेक्षापूर्ण रवैये की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृहमंत्री को एक ज्ञापन देने का निश्चय किया है।

प्रिंसिपल छात्रा को लेकर भाग गया

पलवल में लोगों की एक पंचायत ने प्राइवेट कालेज के प्रिंसिपल का सामाजिक बहिष्कार करने का निश्चय किया है। प्रिंसिपल ने हाल ही में दूसरी शादी कर ली है।

प्रिंसिपल का पहला प्रेम सन् ७१ में अपने ही कालेज की एक छात्रा से हुआ था और दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद कहा जाता है प्रिंसिपल ने एक अन्य शिष्या पर डोरे डालने शुरू कर दिये।

इस दूसरी शिष्या ने गुड़गांव के ट्रेनिंग कालेज में प्रवेश लिया था पर प्रिंसिपल के कहने पर पलवल में ही पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उनका नाम प्रसंग चलता है।

फिर प्रिंसिपल की जिन्दगी में अभी तीसरी प्रेमिका। वह एक स्कूल की छात्रा थी और उस स्कूल के हैडमास्टर ने जब प्रिंसिपल के इस रवैये पर आपत्ति की तो कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल साहब तीसरी प्रेमिका को लेकर भाग गए।

जब पता चला है कि उन्होंने अदालत में शादी करली है गांव वालों में प्रिंसिपल के प्रति बहुत रोष है।

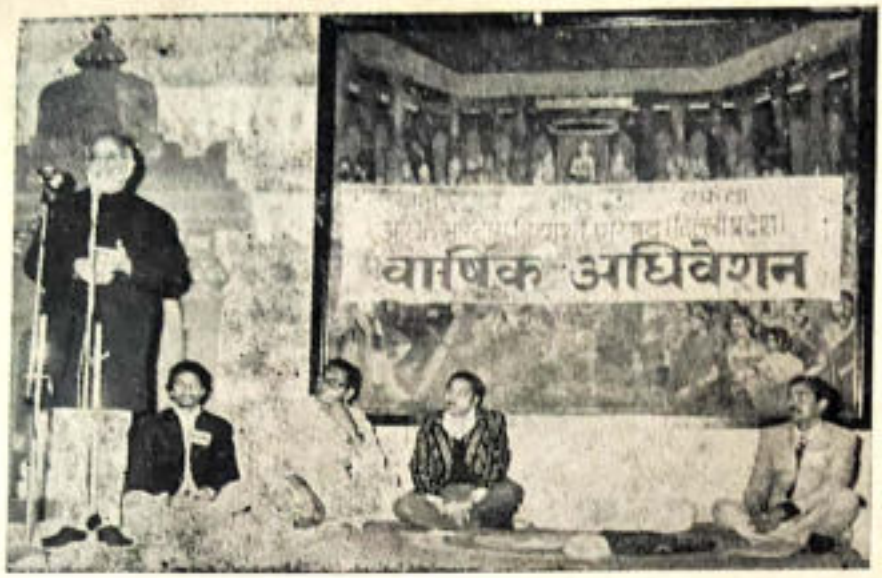

अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि साहित्यकार श्री अज्ञेय, (दाएं से बाएं) प्रदेश अध्यक्ष प्रो० मदन मोहन शर्मा, श्री भोला नाथ विज, राजस्थान विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री महेश चन्द्र शर्मा व प्रदेश मंत्री धर्मवीर शर्मा।

दिल्ली अधिवेशन

शिक्षा घटिया स्तर की राजनीति से आक्रान्त

हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अज्ञेय ने हिन्दू जीवन दर्शन की वैचारिक स्वाधीनता की विशिष्टता का उल्लेख किया और बताया कि हमारा समाज धर्म विश्वास विषयक मान्यतायें किसी पर भी नहीं थोपता। विश्व की अन्य संस्कृतियां और धर्म व्यक्ति से विशिष्ट धर्म विश्वास स्वीकार करने का आग्रह रखते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में व्यक्ति को धर्म विश्वास विषयक पूरी स्वाधीनता है। श्री अज्ञेय ने राजनीति द्वारा समाज को साधन बनाए जाने की आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि राजनीति से स्वतन्त्र सामाजिक शक्ति का विकास किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति उपेक्षणीय रवैये पर उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि शिक्षा को घटिया स्तर की राजनीति से आक्रान्त किए जाने के प्रयासों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया और अधिवेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली प्रदेश विद्यार्थी परिषद के द्विदिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन, नई दिल्ली स्थित हिन्दू महासभा भवन में २ व ३ फरवरी को सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में दिल्ली प्रदेश के लगभग २०० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

इससे पूर्व अ० भा० वि० परिषद के राजस्थान के संगठन मंत्री, श्री महेशचन्द्र शर्मा ने विद्यार्थी परिषद की सैद्धांतिक भूमिका और इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज परिवर्तन के विभिन्न प्रयासों में विद्यार्थी परिषद की रचनात्मक भूमिका का उल्लेख किया।

इस दो दिवसीय अधिवेशन में कुल मिलाकर आठ सत्रों में विद्यार्थी परिषद परिचय, प्रश्नोत्तर, युवा पीढ़ी के सम्मुख चुनौतियां जैसे विषयों के अतिरिक्त दोनों दिन कुल मिलाकर चार प्रस्ताव पारित किए गए व कार्यकर्ताओं की क्षेत्रशः व विभागशः बैठकें भी हुईं जिनमें परिषद कार्य के विस्तार हेतु विचार-विमर्श हुआ तथा आगामी योजनाएं तय की गईं। इसी अवसर पर दिल्ली प्रदेश मंत्री धर्मवीर शर्मा द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों के सम्मुख पढ़ा गया जिसमें दिल्ली प्रदेश में परिषद के तत्वावधान में किए गए कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

अ० भा० विद्यार्थी परिषद, दिल्ली प्रदेश के द्विदिवसीय वार्षिक अधिवेशन में कुल चार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए।

इन प्रस्तावों में राष्ट्र जीवन के विविध व राजनैतिक क्षेत्र में गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। परिषद के मतानुसार सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, सिद्धान्तहीन गठबन्धनों की राजनीति, देश के आन्तरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप तथा पूर्वांचल की ज्वलंत समस्याओं से राष्ट्र की एकात्मकता व सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है।

परिषद के अनुसार आसाम में विदेशियों की घुसपैठ के फलस्वरूप उत्पन्न राष्ट्रीय एकात्मकता को गम्भीर खतरा व इससे उत्पन्न स्थिति में यह मांग की गई कि सरकार को विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का प्रबन्ध किया जाय। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ने आसाम राज्य में चलाए जा रहे जन-आन्दोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा भी की।

सम्मेलन की राय में सातवीं लोकसभा के चुनाव परिणामों व "अधिनायकवादी ताकतों" के सत्ता में वापस आ जाने पर देश में लोकतन्त्र की सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद अपने स्तर पर अधिनायकवादी

शेष पृष्ठ ३० पर

वर्तमान छात्र-युवा की मानसिकता

देश के छात्र-युवा विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर क्या सोचते हैं ? यह जानने का प्रयास हमने एक परिचर्चा आयोजित करके किया है। यहाँ पर प्राप्त विचारों में से कुछ चुने हुए पत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। हमने जिन प्रश्नों पर उनके विचार माँगे थे वे भी यहां पढ़ने को मिलेंगे। जिसको पढ़कर आज के छात्र-युवा की मानसिकता को जाना जा सकता है।

—सम्पादक

गुजरात के छात्र नेता श्री चन्द्र कांत शुक्ल का सोचना है कि

मनुष्य के जीवन का आधार, उसे दिशा देकर ऊँचा उठाने का कार्य शिक्षा का ही है। आज सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार, अनैतिकता, स्वार्थान्धता, चरित्र हीनता आदि का मूल कारण शिक्षण प्रणाली ही है। शिक्षा कोई राष्ट्रीयकरण करने की चीज नहीं है। वह तो अन्तःकरण में से स्वयं प्रसूत वैचारिक ज्ञान गंगा है। वह एक रूप हो, सरल हो और इनसे यदि राष्ट्र की एकता सुदृढ़ बनती हो तो राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। शिक्षक को शिक्षक और विद्यार्थी को सही अर्थ में विद्यार्थी बनना होगा। निज व्यवहार में आज का शिक्षक दिशाभ्रुत है, वह स्वार्थमय जीवन बिता रहा है।

शिक्षक को अपनी कार्यक्षमता, जीवन, व्यवहार प्रत्येक को आदर्श बनाना है। विद्यार्थी स्वयं को नम्र, विवेकपूर्ण और जिज्ञासु रखे तभी बिगड़ते सम्बन्ध बन सकते हैं। न तो छात्र उच्छृंखल है और न वह पलायनवादी ही है। हां, कभी कभी छात्र उच्छृंखल अवश्य होते हैं। कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं किंतु वह संपूर्ण छात्र-प्रतिनिधित्व नहीं कहा जाना चाहिए। पलायनवादी छात्र की कल्पना करना तो कायरता की निशानी है। छात्र स्वयं भविष्य का निर्माता है फिर उच्छृंखलता और पलायनवादिता उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं ?

वर्तमान राजनीति की कोई संस्कृति नहीं है। सबसे निम्न कक्षा की घोर पराजयनीतिक संस्कृति सालों से अपने यहां पली है उसकी चरम सीमा आज का स्वरूप है। वर्तमान राजनैतिक संस्कृति राजनीतिक प्रतिबिंब नहीं, वह समाज जीवन का प्रतीक है। समाज व्यक्ति जीवन का प्रतीक है। अर्थात व्यक्तिगत मत, भाव व्यक्ति जब तक बदलेगा नहीं तब तक समाज और राजनीतिक संस्कृति बदली नहीं जा सकती। आज समाज, व्यक्ति राजनीति स्वार्थी है, त्यागी लोग कम हैं। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति के अंतःकरण में विशुद्ध राष्ट्रभाव जगाकर उसको शक्ति संपन्न और चेतन बनाना यही सभी समस्याओं का एकमात्र हल है। वर्तमान सामाजिक ढांचे को बदलने की क्षमता राजनीति नहीं रखती। राजनीति समाज का एक अंग हो सकती है। परन्तु संपूर्ण सामाजिक जीवन नहीं। राजनीति के बाहर फैला हुआ जन समुदाय ही समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

(ग) छात्र राजनीति में भाग अवश्य लें। राजनीति जानना छात्र का कार्य जरूर है। वह समाज का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान पर भावी निर्भर है उसे क्यों राजनीति से अलग करें ?

संस्कृति:—इस देश के गौरवशाली इतिहास को आज विस्मृत किया जा रहा है। प्राण के जाने पर भी इसे बचाना है पुण्य धरोहर, शास्त्रों, दिव्य परंपरा को यदि, हमें बेचकर औरों को भी बचाना है ;

(ख) अपने देश की संस्कृति की बात करने से हमें कोई पुरातनपंथी समझे तो इसमें हम अपना सौभाग्य ही मानेंगे। ऐसी विवेक शील, समग्र जगत की नम्रता चाहने वाली, विश्व की काया, सुखी-संपन्न और कौन सी संस्कृति है ?

आज के 'आर्टिफिशियल' लोग जो अपने को 'मार्डन' समझ रहे है एक दिन उनको धरातल पर चलना होगा। उसी ही राह पर चलना होगा जहां से यह संस्कृति की धारा पली थी-वहीं से प्रेरणा का पीयूष पीना होगा, आदर्शमय जीवन श्रेष्ठत्व प्राप्त करना होगा।

(ग) भारत राष्ट्र की संस्कृति महान है ऐसा अनुभव भी हो चुका है। इसका मुझे गौरव है।

भाषा—(क) राष्ट्रैक्य बनाये रखने में उस राष्ट्र के कुछ मुख्य कारण रहते हैं। इनमें भाषा एक है। भाषा मनुष्य के भावों को अभिव्यक्त करती हैं। भाव अनेक हो सकते हैं मगर भाषा एक होनी चाहिए, भावात्मक एकता की प्रतीक भाषा है। विचार ही अभिव्यक्ति है।

क्षेत्रीय भाषा को माध्यम बनाना एक सबसे अच्छा, सुचारु तरीका है। पर अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले अधिक ज्ञानशील एकता सराहना से अनुभव करे इसलिए-क्षेत्रीय भाषा आवश्यक है।

(ग) कोई भी फार्मूला हो, वह तो अंतः फार्मूला ही है। जब तक जनमानस स्वयं स्वीकृत न करे तब तक वह त्रिभाषा फार्मूला सफल नहीं हो पायेगी। फिर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि त्रिभाषा फार्मूले से आखिर क्या निष्पन्न होगा ? (अन्य देशों के उदाहरण ध्यान में लेकर भी विचार करें)

देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना से आज तक रोजगारी का विषय जो लिया गया है वह समय-समय पर परिस्थिति के तकाजों के आधार पर लिया गया है और इसलिए निष्फल रहा है। गरीबी तो है ही। लेकिन गरीबी में बेरोजगारी, कार्यक्षमता, योजक, तत्व दुर्लभ, और मनुष्य के असंयम के कारण बस्ती बढ़ना भी आ जाता है। पर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि देश इतना बड़ा है, समृद्ध है और कुदरती साधन संपत्ति हमें खुल कर मिली है लेकिन राजनीति के क्षेत्र के लोगों ने इस संदर्भ में कभी अर्थशास्त्री के सुझाव को या अनुभव को कार्यान्वित नहीं किया है।

बेरोजगारी तो दिल और दिमाग की है। सरकार न स्वयं कुछ कर सकती है न करने देती है। देश में अपार बेरोजगार शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने पर थोड़ा निर्भर है। ऐसा ढांचा हो कि उसमें 10+2 +3 यानि कि कालेज में जाना ही है यह बात न हो। अपने-अपने अनुसार वह रोजगार उन्मुख शिक्षा में जाए। मैं अवश्य सहमत हूं कि रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। हमें कभी यह नहीं बताया गया है कि हम यह पढ़कर क्या रोजगार पा सकते है? शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना चाहिए उद्योग धंधे, खेती के साथ जोड़नी चाहिए। बेरोजगारी न रहे इसलिए पंचवर्षीय आयोजन की सार्थकता सच्चे अर्थों में करनी होगी। समाज को फिर से नये ढांचे में ढालना होगा।

विषमता भारतीय समाज का कलंक है। देश में विषमता मिटाने का व्यवहार रूप वही हो सकता है कि समतोल विवेक बुद्धि से, स्वार्थ न देखते हुए काम करे। वर्तमान सामाजिक विषमता दूर करने की क्षमता सत्ता की राजनीति में आना इतनी सरल नहीं है। विषमता प्रकृति का स्वभाव तो है ही। जहां प्रकृति में विषमता है वहां प्रकृति की गोद में खेलने वालों में विषमता होगी ही।

जहां तक सामाजिक विषमता की बात है, धर्म को नए अर्थों में देखना होगा। सामाजिक विषमता में आर्थिक विषमता भी बहुत उत्तरदायी रहती है। इसी संदर्भ में उच्च एवं निम्न स्तर के लोगों में जन जागरण आवश्यक है। आवश्यक है कि दोनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य पहचानें, परोपकार जानें।

नारी घर की शोभा तो होती ही है परंतु वह केवल माटी की पुतली नहीं है कि शोभा बढ़ाने के लिए उसे स्थानापन्न कर दिया जाए। आज जब जग इतना प्रगतिशील है, नारी को केवल घर की शोभा नहीं बनाया जा सकता। नारी की अपनी मानसिक शारीरिक मर्यादाएं होती हैं परन्तु वह कर्मक्षेत्र की बराबर की साथी तो है। यदि पारिवारिक दृष्टि व विभिन्न सम्बन्धों की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय नारी की स्थिति पश्चिमी नारी से बेहतर है वहां की नारी आज भावात्मक सुरक्षा की खोज में है। यह सच है कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नारी की स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय नारी गरिमामय है परन्तु पाश्चात्य नारी का स्वरूप काफी निम्न स्तर का कहा जा सकता है।

शादी तो दो जीवों को अटूट बंधन में बांधने की पवित्र विधि ही है। हमारे विवाह मंत्रों में नारी को समानाधिकार प्राप्त है। वह अर्धांगनी कहलाती है। शादी की पद्धति नारी का शोषण नहीं है। हां उसमें यदि मोल तोल जैसी कोई बात हो, जबरदस्ती हो, तो वह शोषण है।

भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, व्यक्तिगत पवित्रता और आदर्शवादिता की दृष्टि से, विश्वसनीयता की दृष्टि से शादी से पूर्व कोई सम्बन्ध उचित नहीं। हर समाज के, सभ्यता के, संस्कृति के कुछ मूल्य रहते हैं। यदि हम उन्हें न पालें, तो हममें और जानवरों में क्या फर्क रह जायेगा? मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक शुचिता की दृष्टि से भी शादी से पूर्व कोई सम्बन्ध ठीक नहीं।

यदि प्रकृति को देखें तो पायेंगे कि उसकी हर एक बात के पीछे कोई न कोई नियम तो है ही। फिर हम भी सेक्स जैसी उद्दण्डता कैसे स्वीकार सकते हैं? सेक्स भी एक भूख है। परन्तु पेट की भूख मिटाने के भी जिस तरह कुछ मापदण्ड होते हैं उसी तरह सेक्स के भी होने चाहिए। फ्री सेक्स मानवीय सम्बन्धों की गरिमा में बाधा डालेगा। नहीं, कदापि नहीं। वायदा खिलाफी तो जायज भी हो सकती है, नाजायज भी? जैसे यदि यह पता चले कि भावी वर या वधू में से कोई एक अशुद्ध आचरण करता है इसलिए इसका उससे रिश्ता तोड़ ले तो वह वायदा खिलाफी तो ठीक ही कहलायेगी। परन्तु नाजायज वायदा खिलाफी और बलात्कार के सिवाय नारी एवं पुरुष के सभी सम्बन्ध जायज कैसे माने जा सकते हैं। इस संदर्भ में, जब तक कोई भी सम्बन्ध उस संबन्ध के लिए निर्धारित मूल्यों तक ही सीमित रहता है, शुद्ध भाव से युक्त रहता है तब तक वह जायज है परन्तु जहां उसमें छोटी बड़ी विकृति आ गई, वह नाजायज है। ★

शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि मासिक व छात्र-युवा गतिविधियों का दस्तावेज

राष्ट्रीय छात्रशक्ति के सदस्य बनें और बनाएँ।

रांची (बिहार) के कृष्ण प्रसाद सिंह का सोचना है

देश को वर्तमान स्थिति से उबारना अलग विषय है और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाना अलग। देश की जो वर्तमान स्थिति है इसके कई कारण हैं। उन कारणों में से सांस्कृतिक मूल्यों की गिरावट भी एक कारण हो सकता है। मेरी समझ से देश को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए क्रांति की आवश्यकता है।

जहाँ तक सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने का प्रश्न है इसमें गिरावट आयी है। और मेरे विचार से पाश्चात्य संस्कृति इसके लिए विशेष दोषी है।

पुरातनपंथी का तात्पर्य है उस प्रकार के विचार की चर्चा करना जो काफी पुराना हो चुका हो, और वर्तमान में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं किसी भी देश की संस्कृति वहां के सामाजिक जीवन की आत्मा होती है। इसके बगैर कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता। फिर जिसके बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़कर चला नहीं जा सकता उसे पुरातनपंथी कैसे कहा जा सकता है !

अपने देश की संस्कृति महान रही है इसमें कोई सन्देह नहीं है। कोई चीज महान कब होती है जब वह सदा जीवित रहती है। भारतीय संस्कृति यदि महान नहीं होती तो भारत के अलावा विश्व के अन्य देश के निवासी इसे प्रभावित नहीं होते।

यह हमारी संस्कृति की महानता ही है कि विदेशों में 'हरे रामा हरे कृष्णा' की धुन पर लाखों लोग सड़कों पर नाचते फिरते हैं। लाखों युवक युवतियां विदेशों से भागकर भारत में आत्मा की शांति के लिए आते रहते हैं।

नारी कोई वस्तु नहीं है जिसे घर में सजा कर रखा जाय। नारी को अपने समाज में अर्धांगिनी कहा गया है। यज्ञ जैसा पवित्र कार्य भी नारी के बगैर पूरा नहीं होता है। नारी कर्म क्षेत्र की बराबर की साथी है। समाज के हर क्षेत्र में नारी बराबर की सहकर्मी रही है। पुरुष को भी चाहिए कि वह नारी को इसकी छूट दे। जिस परिवार में नारी को छूट मिली है सामान्य अवसर दिया गया है वह नारी निश्चित रूप से कुछ करके दिखाएगी।

आज प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न स्थिति का बेहतर होना माना जाता है। मेरे विचार से आर्थिक पहलू मनुष्य के जीवन का एक पहलू है। आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होना स्थिति का बेहतर होना नहीं माना जा सकता। आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक दृष्टि से पूर्ण होना ही जीवन का पूर्ण होना माना जाना चाहिए।

जहाँ तक भारतीय नारी एवं पाश्चात्य नारी की स्थिति का प्रश्न है आज निश्चित रूप से पाश्चात्य देशों में नारी की स्थिति बेहतर है। पाश्चात्य नारी भारतीय नारी से अधिक स्वावलंबी, अधिक साक्षर है। पाश्चात्य नारी घर की शोभा या केवल भोग की वस्तु नहीं है। भारतीय पुरुष चाहता है कि वह उसके घर की शोभा बनी रहे। बहुत हद तक इसे भोग की वस्तु माना जाता है। भारत में नारी का शोषण होता है।

मैं इसका पूर्ण विरोधी हूँ कि शादी की पद्धति नारी का शोषण है। शादी मनुष्य जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। शादी एक समझौता है, जीवन की गाड़ी चलाने की एक प्रक्रिया है। शादी नहीं करना, नारी का भोग करना ही नारी का शोषण है। वह नारी को सामाजिक सुख से वंचित रखना चाहता है और सामाजिक सुख से वंचित करना ही नारी का शोषण है।

शादी के पूर्व यौन सम्बन्ध अनुचित है। इससे सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसे सामाजिक अपराध एवं व्यभिचार की भी संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार की गतिविधि मानसिक हीनता लाती है।

फ्री सेक्स एक मानसिक विकार है। पागलपन का चर्मोत्कर्ष है। सेक्स की कोई सीमा नहीं है। इसकी भूख को जितना बढ़ाया जाय उतना ही अधिक बढ़ेगा। भारतीय जीवन मूल्यों में इसे न कभी मान्यता मिली है। न ही मिलनी चाहिए। फ्री सेक्स मनुष्य को जानवर की श्रेणी में लाता है।

वायदा खिलाफी एवं बलात्कार ये दोनों मानसिक विकृति के लक्षण हैं। इसे जानवरों की गतिविधियों में गिना जा सकता है। वायदा खिलाफी एवं बलात्कार के अलावा भी नारी एवं पुरुष के संबंध (यौन संबंधी) नाजायज है। यदि यह संबंध शादी के बाद होते हैं तो निश्चित रूप से इसे जायज कहा जा सकता है। ●

जवाहरलाल नेहरू वि० वि० मान्यता समथित स्टूडेन्टस फेडरेशन आफ इण्डिया के छात्र नेता मदन उन्नीकृष्णन का सोचना है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन अवश्य हो व इसका स्वरूप वैज्ञानिक एवं प्रजातांत्रिक होना चाहिए तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है ताकि सभी को शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। कुछ शिक्षक अपने राजनैतिक एवं व्यक्तिगत कारणों से छात्रों का "एकेडेमिक विक्टेमाईजेशन" करते हैं जिससे सम्बन्धों पर सीधा असर पड़ता है। आपसी सहयोग व दोनों पक्षों का सभी "विद्वत निकायों" में समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि समस्याओं का समान रूप से समाधान हो सके। ज्यादातर छात्र उच्छृंखल नहीं होते परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दोषपूर्ण नीति उन्हें ऐसा बना देती है। राजनीति के विषय में अपना मत स्पष्ट करते हुए बताया कि विभिन्न खेमों में बंटा बुर्जुआ वर्ग सत्ता के लिए आपस में लड़ रहा है, फलस्वरूप वर्तमान राजनीति एक गंभीर संकट से गुजर रही है। वर्तमान व्यवस्था ही समाज में असमानता का कारण है अतः यह असंभव है कि आज की बुर्जुआ राजनीति सामाजिक ढांचे को बदल पाएगी, वामपंथ ही इसका उत्तर हो सकता है। राजनीति जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है, अतएव छात्र अपने आपको राजनीति से अलग नहीं रख सकता। सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं अतः विद्यार्थियों को राजनैतिक दल से जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान व्यवस्था में कुछ तत्व साम्प्रदायिकता, छुआछूत एवं धार्मिक अन्धविश्वास को हवा देते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी बुराईयों की अच्छाइयों को अपनाना होगा। निश्चय ही भारतीय संस्कृति ने विश्व को बहुत कुछ दिया है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता यह विश्व में महानतम है। राष्ट्र को एकताबद्ध करने में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है किंतु यह तभी संभव है जबकि क्षेत्रीय भाषा को दबाया न जाए।

देश में अपार बेरोजगारी इस व्यवस्था की ही देन है : "पूंजी पर निजी स्वामित्व"

अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित समाज में ऐसा होगा ही जबकि अन्य साम्यवादी देशों में ऐसा नहीं है। बेरोजगारी भत्ता अवश्य ही मिलना चाहिए। सामाजिक विषमता को दूर करने की साम्यवादी व्यवस्था में संभावना प्रबल है। वर्तमान व्यवस्था कुछ हद तक विषमता दूर कर सकती है लेकिन इस दोषपूर्ण व्यवस्था में असमानता रहेगी। ही। विषमता प्रकृति का स्वभाव है—मैं ऐसा नहीं मानता। जहां तक नारी का प्रश्न है नारी पुरुष से शारीरिक अन्तर के सिवाय सभी मामलों में बराबर है' उसे कार्य चुनने एवं निर्णय का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। साम्यवादी देशों में नारी की स्थिति भारत, यूरोप एवं पश्चिमी देशों से बेहतर है। शादी की पद्धति नारी का शोषण नहीं अपितु सामाजिक वातावरण एवं शादी के साथ जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं शोषण का कारण है। शादी से पूर्व यौन सम्बन्धों का मैं व्यक्तिगत रूप से विरोधी नहीं हूं यदि इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी तो लोग खुद ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं। फ्री-सेक्स के सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि मैं इसके आधार को नहीं समझ पाया हूं। इस कथन से मेरी करीब करीब सहमति है कि वायदा खिलाफी एवं बलात्कार के सिवाय नारी एवं पुरुष के सभी सम्बन्ध जायज हैं।

× × ×

विद्यार्थी परिषद् के बिहार कोषाध्यक्ष हरेन्द्र पाण्डे का मत है

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन अत्यावश्यक है। व्यक्ति के नैतिक स्तर का गिरना, समाज में अराजकता, अनुत्तरदायित्व एवं कटुता इसीलिए बढ़ रही है यह शिक्षा व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं अपितु समाजीकरण किया जाय जिसका स्पष्ट अर्थ हो शिक्षा में समाज का सहभाग, समाज के विकास के लिये एवं समाज द्वारा जिसका संचालन हो। दोनों के बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध समाप्त हो गया है। दोनों के सोचने का ढंग आर्थिक हो गया है। जब तक दोनों में यह धारणा नहीं बनेगी कि हमें समाज के लिए हर सम्भव एक योग्य नागरिक तैयार करना है और हमें एक योग्य नागरिक बनना है तब तक शिक्षक-छात्र के बिगड़ते सम्बन्ध में सुधार नहीं हो सकता। मैं इस को मानने को तैयार नहीं हूँ कि छात्र उच्छृंखल पलायनवादी है। उच्छृंखल और पलायन तो वह तब करता है जब उसको समाज में अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। आज तो हमारे देश के राजनीतिज्ञ और उनकी बनायी गयी व्यवस्थायें ही चुनाव से लेकर ट्रेड यूनियन तक तो उन्हें उच्छृंखल बनाती है और समाज की वर्तमान संरचना ही उन्हें पलायन करने को मजबूर करती है आवश्यकता है समाज में ऐसा वातावरण बनाने की कि छात्र उच्छृंखल न हों एवं पलायन न करें।

अगर सच पूछा जाय तो वर्तमान राजनीति में 'संस्कृति" नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। आज की राजनीति, शोषण, अनुत्तरदायित्व सिद्धान्तविहीन, अराष्ट्रीय, अवसरवाद, एवं खुशपरस्ती की राजनीति बनकर रह गयी है। राजनीति कभी भी वर्तमान सामाजिक ढांचे को नहीं बदल सकती बल्कि वह मात्र सहयोगी एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु वातावरण बनाने का कार्य कर सकती है। यह ईमानदारी से केवल नीति निर्धारण को और उसके क्रियान्वयन हेतु समाज को आह्वान करे तो समाज परिवर्तन का काम आसानी से हो जायेगा। छात्र दलगत या सत्ता की राजनीति में भाग न लेकर बृहत्तर राजनीति में भाग लें जैसाकि उसने 77 के चुनाव के समय लिया था। पर छात्र देश में चल रही राजनीति को समझें अवश्य। सारे देश के ऊपर जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है वह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को ध्वस्त करने पर तुली हुई है। मैं पश्चिमी संस्कृति का आँखमूंद कर विरोध नहीं करता। उसमें भी कुछ अच्छाईयां है। पर हम पश्चिम की संस्कृति की अच्छाइयों को तभी स्थान दे पायेंगे जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को समृद्धशाली कर सकें। वरना जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों की

प्रश्नावली

१. शिक्षा सम्बन्धी
२. राजनीति सम्बन्धी
३. संस्कृति सम्बन्धी
४. भाषा सम्बन्धी
५. रोजगार सम्बन्धी
६. आर्थिक सामाजिक विषमता
७. नारी सम्बन्धी
८. यौन सम्बन्ध

रक्षा क्या करेगा। देश को वर्तमान अवनति के गर्त से उबारने हेतु हमें भारतीय संस्कृति को बचाना आवश्यक है। भारत की संस्कृति की बात करना पुरातनपंथी नहीं बल्कि अपनी थाती की रक्षा करना है और भारतीय संस्कृति हर समय और सभी के लिये अनुकरणीय है। यह अमर है। अतः इसकी बात करना पुरातन पंथी का परिचायक नहीं हो सकता। सर्वधर्म सम्मान, अध्यात्मिक दृष्टिकोण, संयुक्तपरिवार की कल्पना, सत्ता निरपेक्ष समाज रचना ऐसी अनेकों उदाहरण इस बात के प्रतीक होंगे कि हमारी संस्कृति महान है।

किसी भी राष्ट्र की एकता उसकी अपनी भाषा पर ही निर्भर है। जिस देश की भाषा जितना ही निसहाय और अविकसित होती है वह राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा। भारत को गुलाम रखने में विदेशी इसलिये सफल हो सके क्योंकि पहले वे इस देश की भाषा को निसहाय कर चुके थे।

क्षेत्रीय भाषा को माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा का माध्यम बनना ठीक रहेगा। पर माध्यमिक शिक्षा के ऊपर राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को ही बनाना होगा।

त्रिभाषा का विचार बिल्कुल सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को सर्वमान्य एवं नियमोपयोगी बनाने हेतु त्रिभाषा का विचार सही है।

देश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुख्य कारण है हमारी योजनाओं की दिशा का गलत होना, शिक्षा का इस देश के अनुकूल न

होना एवं उपलब्ध साधनों का ठीक ढंग से उपयोग न करना।

रोजगार न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात करना इस देश के नौजवानों को काहिल बनाना और देश के विकास की गति को रोकना होगा। यह मांग सही है कि सबको रोजगार प्राप्त हो या उसे बेरोजगारी भत्ता देने की बात करना उसकी क्षमता संकीर्ण दायरे में बंद करना होगा। जिन देशों में यह प्रयोग अपने यहाँ किया उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम सामने आ रहा है। बेरोजगारी दूर करने हेतु आवश्यक है ज्यादा से ज्यादा हाथों से काम लिया जाय। जिन चीजों का उत्पादन लघु उद्योगों से हो सकता है उसे बड़े उद्योगों से तैयार न करना। कृषि का विकास करना और कृषि योग्य सभी जमीनों पर कृषि करना। शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी देना। बड़े पैमाने पर ग्रामीण एण्ड दस्तकारी को बढ़ावा देना। यानी विकेन्द्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

सत्ता की राजनीति वर्तमान सामाजिक विषमता को दूर नहीं कर सकती यह 32 वर्षों का हमारा अनुभव बताता है। समाज सेवी सत्ता निरपेक्ष संगठन ही इस कार्य को कर सकता है। विषमता प्रकृति का स्वभाव है। पर वर्तमान विषमता की दूरी को बढ़ाने का कार्य हमारे समाज ने भी किया है। यह सही है कि प्रकृति ने रेगिस्तान और उपजाऊ दो तरह की जमीनें बनायी है पर आधुनिक तरीके से हम इस दूरी के खाई को कम अवश्य कर सकते हैं। आवश्यकता है प्रयत्न करने की।

सामाजिक और आर्थिक विषमता लोकतांत्रिक और भारतीय चिंतन के आधार पर ही हम कम कर सकते हैं। रामराज्य का उदाहरण सामने हैं।

भारतीय चिंतन में नारी घर की लक्ष्मी के साथ झांसी की रानी, माँ दुर्गा एवं काली रूप में कर्मक्षेत्र में बराबर की साथी भी रही है। दोनों में कोई विरोधी भाषा नहीं। नारी का दोनों स्थान पर समान महत्व है।

पाश्चात्य नारियां माँ नहीं रह गई हैं। भारतीय नारी अवसर मिलने पर राम के साथ कर्मभूमि में आ सकती है अवसर देने की आवश्यकता है पर पाश्चात्य नारियाँ पुनः मां का प्यार अपने बेटे से पाएगी यह जरा कठिन लगता है। अतः भारतीय नारी का स्तर पाश्चात्य नारी से अच्छा कहा जा सकता है।

शादी की पद्धति नारी का शोषण नहीं बल्कि इसे मर्यादित सुशोभित एवं समाज के प्रति उत्तरदायी रहने का एक बंधन है। पर आज की पद्धति विकृत रूप में उभर कर सामने आयी है। यह तो शादी के नाम पर कलंक है।

शादी के पूर्व यौन सम्बन्ध को मैं अनैतिक मानता हूँ। पर आज यह तय हो कि शादी हो ही जायेगी तब यौन सम्बन्ध क्षम्य हो सकता है।

अगर फ्री सेक्स स्कूल कालेजों तक मर्यादित है तो ठीक है यौनाचार में परिणत होता है तो मैं इसका विरोधी हूँ जी हाँ वायदा खिलाफी एवं बलात्कार के सिवाय नारी एवं पुरुष का सम्बन्ध पवित्र है।

चण्डीगढ़ के गोविन्द सिंह का मत है

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय। शिक्षा का स्तर समान हो। पब्लिक स्कूलों तथा गँवई स्कूलों के मध्य की खाई को पाटने के लिए यह अनिवार्य है। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह नहीं कि सब जगह एक ही पाठ्यक्रम हो, अपने स्थान पर प्रान्तीयता भी आवश्यक है, लेकिन समग्र दृष्टिकोण भारतीय हो, निस्संदेह आज गुरु-शिष्य के सम्बन्ध कुछ भी नहीं रहे, क्यों कि इस पद्धति में गुरु की महत्ता भी कुछ नहीं बची, हमारे शिक्षा मंदिरों का उद्देश्य चरित्र निर्माण या ज्ञानार्जन न होकर कुंजियाँ पढ़कर डिग्री प्राप्त करना रह गया है। शिक्षा का उद्देश्य-सुसंस्कृत नागरिक तैयार करना है, इसके लिए गुरु की महत्ता अक्षुण्य है। अतः शिक्षा को संस्कृति, नैतिकता, चरित्र निर्माण से जोड़ना होगा। शिक्षा को व्यावहारिक बनाना भी अपरिहार्य है। ऐसी उद्देश्यहीन शिक्षा, जो शिक्षा, जो विद्यार्थी को अंधकार के चौराहे पर खड़ा कर देती हो, प्राप्त कर विद्यार्थी को उच्छृंखल न होगा? अपनी स्थिति से अनभिज्ञ आज का विद्यार्थी विद्रोह बनता जा रहा है लेकिन उसे अपनी स्थिति का अहसास नहीं है और वह दिशा विहीन है। इसलिए वह अपनी शक्ति का उपयोग सृजन की अपेक्षा विध्वंस में करता है।

वर्तमान भारतीय राजनीति के साथ संस्कृति शब्द को जोड़ना उचित नहीं। क्यों कि संस्कृति किसी भी देश या समाज की श्रेष्ठतम उपलब्धि होती है, परन्तु वर्तमान राजनीति में उपलब्धियाँ तो दूर, वह अपनी निकृष्टतम स्थिति में है। वह दिशाहीन भटक रही है। अतः इस राजनीति से यह आशय रखना कि वह समाज बदलेगी, सरासर गलत होगा, ऐसी स्थिति में देश की छात्र-शक्ति स्वयं को दलगत, कुर्सीवादी राजनीति से ऊपर उठकर स्वच्छ प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए स्वस्थ राजनीति में भाग ले सकती है।

आज हमारा देश दो नौकाओं में पाँव रखे है सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण हो रहा है। अतः महान भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण अनिवार्य है। इसे जो पुरातनपंथिता कहता है वह देशद्रोही है वह देश चिन्ता से अनभिज्ञ है। निस्संदेह हमारी संस्कृति महान है, हर संकट की घड़ी में इसने दुनिया को आशा की राह दिखाई है।

भाषा वह कड़ी है जो दो भिन्न-भिन्न दिशाओं को देखने वालों की एक ओर उन्मुख करती है, वह दो टूटे दिलों को जोड़ सकती है अतः विविधताओं से परिपूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा तभी तक दी जानी चाहिए, जब तक कि छात्र राष्ट्र भाषा में दक्ष नहीं हो जाता, अर्थात्, माध्यमिक शिक्षा के बाद राष्ट्र भाषा को ही माध्यम बनाया जाय त्रिभाषा सूत्र निस्संदेह देश की भाषा समस्या को सुलझाने का एक श्रेष्ठ आधार है।

बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी दोषी है, वर्तमान शिक्षा। ★

सुलगता पूर्वांचल . . .

को लेकर व्यापक जन-आन्दोलन चल रहा है। इस समय आन्दोलन का प्रारम्भ 'आसाम साहित्य सभा' ने किया जिसने पूर्वान्चल की सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेवार चिन्ता व्यक्त की और आसाम की मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम हटाने की मांग रखी। बाद में 'आल आसाम स्टूडेण्ट्स यूनियन' ने इस आन्दोलन को विदेशियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर निर्णायक मोड़ दिया। इन दो संगठनों के अलावा इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले अन्य संगठन हैं पूर्वांचलीय लोक परिषद् और आसाम जातीयतावादी दल। ये सभी संगठन मिलकर एक सम्मिलित संगठन 'आसाम गण-संग्राम परिषद' के नाम से काम कर रहे हैं।

इससे पूर्व भी आसाम में जातीय और भाषाई दंगे भड़के हैं जिनमें गैर-असमियों को आसाम से बाहर निकालने और आसामी भाषा पर बंगाली भाषा के तथाकथित "आधिपत्य" को समाप्त करने की मांगें ही मुख्य थीं। ये मांगें गैर-राष्ट्रवादी मांगें हैं इस समय आसाम में चल रहे राष्ट्रवादी जन-आन्दोलन को ये विदेशी ताकतें अपनी कूटनीति, पैसा और जनसंख्या के बल पर पृथकतावादी रुख देने में पूरी तरह व्यस्त हैं और इसमें इनको पर्याप्त सफलता भी मिल रही है विदेशी नागरिकों को निकलाने के लिए किए जा रहे व्यापक राष्ट्रवादी आन्दोलन को बदनाम करने और आम भारतीय की दृष्टि में गिराने के लिए ही ये विदेशी शक्तियां इस आन्दोलन को पृथकतावादी स्वर देने के लिए कटिबद्ध हो चुकी हैं।

कम्युनिस्ट लॉबी का कुप्रचार

भारत में किसी भी राष्ट्रवादी शक्ति को एवं राष्ट्रवादी आन्दोलन को शक की निगाह से देखने वाली भारत की रंगबिरंगी कम्युनिस्ट पार्टियां भी इस आन्दोलन को बदनाम करने में मशगूल हो गई हैं। सरकारी मशीनरी के माध्यम से भी ये कम्युनिस्ट पार्टियां इस आन्दोलन को इसलिए बदनाम करने में लगी हैं क्योंकि न केवल फिलहाल इस आन्दोलन का नेतृत्व उनके हाथ में नहीं है अपितु इसे बदनाम करके वे अपने रूसी तथा चीनी मालिकों की चालों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए इस लॉबी ने अपने प्रयासों को तीन हिस्सों में बांट रखा है—(१) हमेशा की तरह इस आन्दोलन को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस प्रकार जोड़ना कि मानों संघ एक बदनाम संस्था हो, (२) हमेशा की तरह इस राष्ट्रवादी आन्दोलन को भी उन्माद एवं मुर्खतापूर्णस्तर तक का अतिराष्ट्रवादी प्रचारित करना; विदेशी ताकतों के प्रभाव को मुद्दा न मान कर चायबागान के मजदूरों, तेल स्रोतों पर काम करने वालों और पहाड़ियों की गरीबी का बढ़ाचढ़ा कर मौके-बेमौके राग अलापते रहना जो गरीबी वास्तविक एवं भयंकर होने के बावजूद इस आन्दोलन से दूर का भी ताल्लुक नहीं रखती।

इस सम्पूर्ण विवेचन के बाद किसी भी समझदार भारतीय को इस आन्दोलन को देखते हुए निम्नलिखित समापान के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं सकता-(१) तत्काल सम्पूर्ण पूर्वांचल को सेना के अधीन करके भविष्य में ईसाई मिशनरियों तथा विदेशी नागरिकों के प्रवेश को पूरी तरह रोक दिया जाए; (२) सभी ईसाई धर्मप्रचारकों को वहां से और पूरे देश से निकाला जाए; (३) १९४७ के बाद वहां प्रविष्ट सभी विदेशियों को तत्काल पूर्वान्चल से निकाल बाहर किया जाए; (४) चीनी, बंगलादेशी, बर्मी, सी० आई० ए०, के० जी० बी० के जासूसों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमे चलाकर दण्डित किया जाए; (५) ईसाई धर्मप्रचारकों ने यदि वहां कोई प्रकल्प चला रखे हों तो भारत सरकार उनका अधिग्रहण कर ले; (६) भारतीय मूल के धर्मों—जैसे वैष्णव, शैव, जैन, सिख आदि धर्मों के प्रचारकों को वहां जाकर बसने को प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे ईसाईयों द्वारा गुमराह किए गए लाखों लोगों का राष्ट्रवादी धर्मों का ज्ञान दे सकें; (७) सम्पूर्ण पूर्वान्चल के आर्थिक विकास के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक कार्यक्रमों पर आचरण किया जाए। ★

(पृष्ठ २३ का शेष)

सम्मेलन की राय में सातवीं लोक सभा के चुनाव परिणामों व "अधिनायकवादी ताकतों" का सत्ता में वापस आ जाने पर देश में लोकतन्त्र की सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद अपने स्तर पर अधिनायकवादी तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाएगी।

एक अन्य प्रस्ताव में शैक्षणिक परिवर्तन सम्बन्धी मांग को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि शैक्षिक जड़ता को तोड़ने के लिए सुसंगठित राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में विद्यार्थी परिषद के प्रयासों की चर्चा करते हुए 'राष्ट्रीय मांग पत्र' में उठाए गए मुद्दों को क्रियान्वित करने की मांग की गई है।

इस अधिवेशन में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा जादवपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने हाथ में ले लेने को शैक्षिक स्वायत्तता का गला घोंटने की बेशर्मीपूर्ण घटना कह कर कड़ी आलोचना की गई।

बेरोजगारी सम्बन्धी प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि शिक्षित बेरोजगारों को काम उपलब्ध न होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिया जाय। सरकारी नौकरियों में आवेदन पत्र के साथ पोस्टल आर्डर भेजने की प्रथा को समाप्त करने के साथ-साथ बैंकिंग सर्विसिज के लिए केन्द्रीय परीक्षा संयुक्त कर से एवं उसके आवेदन की फीस पांच रुपए करने की बात कही गई है।

दिल्ली में स्थित तीनों विश्वविद्यालयों में व्याप्त प्रशासनिक कमजोरियों एवं अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के प्रति गहरा दुःख व्यक्त करते हुए छात्रावासों की समस्याओं के समाधान हेतु तथा विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार एवं घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। विशेषतया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राशि का दुरुपयोग, लाखों रुपये के सामान की चोरी व गैर-वामपंथी विद्यार्थियों के "एकेडेमिक-विक्टेमाईजेशन" के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ दिल्ली प्रशासन से भी कहा गया है कि वह आयुर्वेदिक एवं पोलीटेक्नीक छात्रों की न्यायसंगत मांगों के लिए नरम रुख अपनाने की मांग की। ●